# आमुख

# विषय-सूची


| क्र. सं. | तारीख | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| | आमुख | | |
| 1. | 18 सितम्बर, 1964 | मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव | 1 |
| 2. | 9 दिसम्बर, 1964 | ब्रिटेन यात्रा के बारे में वक्तव्य | 11 |
| 3. | 25 फरवरी, 1965 | भाषा के मामले पर वक्तव्य | 15 |
| 4. | 2 मार्च, 1965 | राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव | 20 |
| 5. | 16 मार्च, 1965 | मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव | 26 |
| 6. | 11 मई, 1965 | कच्छ-सिंध सीमा सम्बन्धी स्थिति तथा रूस यात्रा के बारे में वक्तव्य | 33 |
| 7. | 16 अगस्त, 1965 | गुजरात–पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के संबंध में भारत–पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव | 36 |
| 8. | 26 अगस्त, 1965 | मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव | 40 |
| 9. | 16 सितम्बर, 1965 | संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य | 45 |
| 10. | 17 सितम्बर, 1965 | चीन के पत्र के बारे में वक्तव्य | 49 |
| 11. | 20 सितम्बर, 1965 | चीन की अन्तिम चेतावनी के बारे में वक्तव्य | 52 |
| 12. | 22 सितम्बर, 1965 | युद्ध-विराम तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य | 54 |
| 13. | 24 सितम्बर, 1965 | भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प तथा भारत द्वारा राष्ट्रमंडल छोड़ने के संकल्प के बारे में वक्तव्य | 57 |
| 14. | 5 नवम्बर, 1965 | भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य | 60 |
| 15. | 16 नवम्बर, 1965 | अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव | 64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | 10 दिसम्बर, 1965 | ताशकन्द में राष्ट्रपति अय्यूब खां के साथ प्रस्तावित भेंट तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य | 68 |


ये भाषण लोक सभा वाद–विवाद के "संक्षिप्त अनुदित संस्करण" अथवा/और "हिन्दी संस्करण" से लिए गए हैं तथा यथास्थान अनुवाद दिया गया है। कृपया मूल भाषणों को देखने के लिए https://eparlib.nic.in/ पर जाएं।

# मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

## 18 सितम्बर, 1964

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने वाद-विवाद का स्तर ऊंचा रखा और उन्होंने व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछाला। सब भाषणों में श्री हीरेन मुकर्जी का भाषण सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई। मुझे उनसे अधिक अच्छे भाषण की आशा थी।

वाद-विवाद में खाद्य स्थिति का अनेक माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। चूंकि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने व्यापक रूप से इस प्रश्न का विश्लेषण कर दिया है, अत: मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा।

हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम खाद्य समस्या को कैसे हल करें। इसके लिए हमें दो उपाय करने होंगे। एक तो हमें देश के भीतर से अनाज इकट्ठा करना होगा चाहे वह पंजाब से हो, या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश से। दूसरा काम हमें यह करना होगा चाहे वह हमें पसन्द न हो, कि हम विदेश से खाद्यान्नों का आयात करें। कुछ महीनों में आयात किया हुआ चावल और गेहूं आ जाने के बाद वर्तमान कठिनाई को हम हल कर लेंगे।

हो सकता है कि डॉ. लोहिया की बात मैं न समझ पाया हूं लेकिन उचित मूल्य की गल्ले की दुकानें बन्द करने का कोई इरादा नहीं है। हम उचित मूल्य की गल्ले की दुकानों की संख्या बढ़ायेंगे। इन दुकानों का प्रबन्ध भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। बताया गया है कि कुछ राज्यों में इन उचित मूल्य की दुकानों के लिये जो गल्ला दिया जाता है, उसमें से 25 या 30 प्रतिशत गल्ला चोरी छिपे निकाल करके खुले बाजार में बेचा जाता है। अत: उचित मूल्य की दुकानों का संचालन ठीक ढंग से होना चाहिए। देहातों में इन दुकानों का काम अच्छा नहीं रहा है, प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाला अनाज सरकार की सहायता से सस्ता मिलता है। इस पर सरकार बहुत अधिक सहायता देती रही है। 1961 में करीब 15 से 16 करोड़ रु. 1962 में 21 करोड़ रु., 1963 में 36 या 37 करोड़ रु. और अनुमान है कि 1964 में करीब 50 करोड़ रु. खर्च होंगे। अत: यह स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि गरीब जनता को उचित मूल्य की दुकानों से गल्ला मिलता रहे। सरकार इस संबंध में निरन्तर सहायता करती रहेगी।

कुछ राज्यों में खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार आदि। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी स्थिति खराब है। दिल्ली के कुछ भागों में भी खाद्यान्न की कमी है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की भी मदद करनी है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी संकट है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जल-निरोध की भी समस्या है। पंजाब में यदि जल-निरोध की समस्या हल हो जाये तो वहां करीब 2 लाख टन और गल्ला पैदा हो सकता है। इस कठिनाई के कारण वहां के किसान फसल नहीं बो पाते।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सभी विभागों को ध्यान देना चाहिए। एक विशेषज्ञ ने यह राय दी थी कि पिछले कुछ वर्षों में बनी नहरों, पुलों, पुलियों के कारण और उनमें कोई समन्वय न होने के कारण जल-निरोध की समस्या बनी हुई है।

मैं सरकार की निन्दा कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि चाहे रेलवे विभाग हो, या परिवहन हो या सिंचाई विभाग हो, कोई भी विभाग इस बात के लिए अपने को उत्तरदायी मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि विभिन्न विभागों के कामों में कोई समन्वय नहीं है। इसमें मैं अपने को उत्तरदायी मानता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कुछ समन्वय अवश्य होना चाहिए और जल-निरोध की समस्या हल होनी चाहिए। उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए। मंत्रालयों के सचिवों की बैठक में भी मैंने इस बात पर जोर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि हमारे मंत्रालयों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में कुछ समन्वय अवश्य होना चाहिए।

इसके अलावा अनाज के लादने-उतारने और पहुंचाने की व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। इस बीच रेलवे ने इस दिशा में बड़ी कुशलता से काम किया है। हमारा बड़ा उत्तरदायित्व है और आगे के दो महीने बड़ी कठिनाई के होंगे। अत: हमें जनता में या स्वयं में कोई निराशा की भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि हम कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे।

अमरीका के पत्तनों पर कुछ कठिनाई होने से आयात का अनाज आने में कुछ विलम्ब हो गया है। कुछ अन्य देशों को जा रहे अनाज के जहाजों को बीच से ही भारत भेज दिया गया है, अत: आशा है कि इस महीने के तीसरे सप्ताह तक हमारे यहां पर्याप्त अनाज आ जायेगा।

लेकिन मूल बात यह है कि हम खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ायें। हम दो कदम उठाने जा रहे हैं। जैसा कि खाद्य मंत्री बता चुके हैं हम खाद्यान्नों के उत्पादक के लिए मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं, हम काफी समय से इस बात पर विचार कर रहे हैं। डॉ. लोहिया की बात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि हम उत्पादक को अधिक मूल्य देंगे, तो कीमतें बढ़ती ही जाएंगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी। अत: हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य भी इस मामले में हमारी सहायता करें। केवल आन्दोलनों से लाभ नहीं होगा। तदर्थ मूल्य निर्धारित करने का काम एक निष्पक्ष संस्था को सौंपा जाए। रबी की फसल की कीमतें जल्दी ही घोषित करनी होंगी। हमने केन्द्र में एक समिति नियुक्त की है, श्री एल. के. झा उसके सभापति हैं और वित्त मंत्रालय व खाद्य मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि भी इस समिति में हैं। उत्पादकों के मूल्य के संबंध में उनकी रिपोर्ट शायद अगले सप्ताह आ जाएगी और थोक तथा परचून व्यापारियों के मूल्य के संबंध में उसकी रिपोर्ट इस महीने के अन्त तक आने की आशा है। अगले वर्ष जनवरी में संभवत: मूल्य आयोग नियुक्त किया जाएगा, जो एक स्थायी संस्था होगी और निरन्तर यह काम करता रहेगा।

उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मदद देने का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि हम यंत्रीकृत कृषि न अपनाएं या हमारे यहां सूरतगढ़ जैसे फार्म न हों। लेकिन इस समय यदि हम

यंत्रीकृत कृषि को अपनाएंगे, तो हमें मशीनों का आयात करने में विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी। बाद में हम यंत्रीकृत कृषि अपना सकते हैं। इस समय तो हमें किसानों को पानी, खाद, अच्छे बीज, ऋण की सुविधाएं आदि देनी चाहिएं और मुझे विश्वास है कि इससे उनका उत्पादन अवश्य बढ़ेगा।

मुझे स्मरण है कि श्री जवाहरलाल जी कहा करते थे कि उन्हें बड़े-बड़े बुलडोजरों, ट्रैक्टरों आदि की आवश्यकता नहीं है। वह चाहते थे कि हमारे किसानों को अच्छा बीज और अच्छे हल दिये जाने चाहिएं। मेरी भी यही राय है और मेरा सुझाव है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे।

इस सम्बन्ध में सामुदायिक विकास खण्डों का बड़ा महत्व है। मैंने श्री एस. के. डे. को सुझाव दिया है कि कुछ वर्षों तक ये खण्ड कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। खण्ड के आधिकारियों को यह काम सौंप दिया जाये कि वे प्रत्येक खेत का दौरा करें और देखे कि उसमें कितनी प्रगति हुई है और यदि प्रगति नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं? उन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रगति की एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है। जब तक खण्ड के अधिकारी पैदल नहीं चलेंगे, वे गांव की जनता के साथ घुलमिल नहीं पाएंगे। हम लोगों को, जब हम बाहर जाते हैं, डाक बंगले में ठहरने के बजाय गांव में ठहरना चाहिए।

जैसाकि मैं बता चुका हूं मुख्य समस्या उत्पादन की है। मैं यह नहीं कहता कि एक या दो वर्षों में हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमें अगले 6-8 वर्षों तक खाद्यान्नों का रक्षित भंडार बनाये रखने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है कि किसानों के सामने बाढ़, सूखे या अन्य प्रकार की कठिनाइयां आएं। रूस जैसे देश ने इस मामले में कमाल कर दिखाया है। रूस इस समय अमरीका से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात कर रहा है। तो मैं यह बता रहा था कि जब रूस जैसे देश के सामने ऐसी समस्या पैदा हो सकती है, तो उनके सामने हमारी क्या स्थिति है।

इसके बाद वितरण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अखिल भारतीय खाद्यान्न निगम स्थापित करने की बात कही है। यह एक प्रयोग है। हम खाद्यान्नों का सारा कारबार अपने एकाधिकार में नहीं लेंगे। यह निगम अगली जनवरी से इसी के आस-पास काम करना आरम्भ कर देगा। यह कोई विचारधारा का या सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि जनता को उचित मूल्य पर गल्ला मिल सके। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम राज्य व्यापार आरम्भ करने जा रहे हैं। कुछ सदस्यों ने हमारी आलोचना भी की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जापान में भी, जहां स्वतंत्र व्यापार की परिपाटी है, राज्य सारा अनाज इकट्ठा कर लेता है और करीब 36,000 या 40,000 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उसका वितरण होता है। उन्होंने बड़ी सफलता से यह काम किया है। वे बड़ी मात्रा में अनाज की कीमतों में राजकीय सहायता भी देते हैं। हम उतनी सहायता नहीं दे पाएंगे। अत: हम किसी नीति के कारण कोई काम नहीं कर रहे हैं। अनेक व्यावहारिक कदम हम उठाएंगे और देखेंगे कि

देश के लिए क्या हितकर है। वही हम करेंगे। हम उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की व्यवस्था करने का पूरा प्रबंध करेंगे।

यह भी धारणा है कि राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सच है कि चावल और गेहूं के लिए राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु अब राज्यों को एक नये दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। कुछ राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन जरूरत से कम होता है, उनमें तो कठिनाई है ही। जो राज्य लगभग आत्मनिर्भर है, वे भी केन्द्र पर निर्भर हैं। इससे प्रशासन के सामने कठिनाई बढ़ गई है। वे उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न इस आशा से नहीं करते कि अन्त में केन्द्र हमें खाद्यान्न देगा ही। यह अच्छी बात नहीं है।

मैं सामान्य प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ा, चीनी, वनस्पति तेल, सब्जी, दियासलाई, नमक साइकिल के टायर और ट्यूब की कीमतें बढ़ जाने के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इन 10 या 12 वस्तुओं की कीमतें निर्धारित हो जानी चाहिएं। कपड़े के संबंध में तो एक योजना बन गई है कि साड़ियों, लट्ठे, धोतियों, जीन, कमीज के कपड़े आदि के मूल्य पर नियंत्रण कर दिया जाये। इस प्रकार आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े उचित मूल्य पर बेचे जाने चाहिए। श्री मनुभाई शाह ने मुझे बताया है कि इन कपड़ों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण हो जायेगा। इन कपड़ों पर स्टैम्प लगाया जाएगा।

जहां तक औषध तथा दवाइयों का सम्बन्ध है मैंने कुछ अधिकारियों को बाजार में भेज कर दवाइयां मंगाई थीं। उन्होंने बताया है कि उनके मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। दियासलाई पर कुछ लोग एक नया पैसा फालतू ले रहे हैं।

हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को राहत मिले। अमीर तो बढ़िया कपड़ा और बढ़िया दवाइयां भी खरीद सकते हैं।

चाहे कृषि हो या उद्योग, ऐसे निकाय की आवश्यकता है जो वस्तुगत दृष्टि से एकीकृत योजना बनाए। इसलिए हमें योजना का सिद्धांत सर्वथा मान्य है।

श्री दांडेकर का भाषण सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुझे ज्ञात है कि वे सुयोग्य आई. सी. एस. अफसरों में से एक हैं किन्तु उन्हें लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कुछ पता नहीं। सफलता को आंकड़ों द्वारा देखा जा सकता है। इस अवधि में खाद्यान्न का उपभोग 13.5 औंस से बढ़कर 15.3 औंस, कपास का 10.98 मीटर से 14.63 मीटर, चीनी का 3.2 से 5.2 तक हो गया है। इसी तरह अन्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ा है। इन वर्षों में श्री नेहरू जैसे महान नेता के नेतृत्व में भारत के लोगों ने महान प्रयत्न किए हैं। निस्संदेह विकास काल में अत्यंत गम्भीर समस्याएं पैदा हुआ करती हैं। किन्तु ये प्रगतिशील राष्ट्र की समस्याएं हैं।

जैसा गृह मंत्री ने कहा है, संथानम आयोग की नियुक्ति के लिए मैं उत्तरदायी हूं। उनके पद निदेश में राजनैतिक लोगों का उल्लेख नहीं था। किन्तु मैंने श्री संथानम से कहा था कि वे अनौपचारिक रूप से इस बारे में मुझे बताएं।

नन्दा जी ने राजनैतिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। यद्यपि यह काम बहुत जटिल है किन्तु मैं इससे मुंह नहीं मोड़ता। किन्तु ऐसे मामलों में कानून बहुत प्रभावी नहीं होता अत: हमें कुछ प्रथाएं बनानी होंगी। एक प्रथा यह होगी कि यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी मंत्री से कहे कि उसके खिलाफ कोई मामला है तो उस मंत्री को तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए।

मुख्यमंत्री किसी छोटे राज्य का हो या बड़े का वह एक उत्तरदायी पद का प्रभारी होता है, अत: उसे हर समस्या प्रधानमंत्री को नहीं सौंपनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों को संदेह से परे होना चाहिए। कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में जो बातें यहां कहीं गई थीं उनकी जांच पर वे निराधार पाई गई थीं। कैरों का मामला स्वयं नेहरू जी ने न्यायिक अधिकारी को सौंप दिया था। मुझे खेद है कि हमारे दल के अपने लोग बिना जांच के निराधार आरोप लगाते हैं। एक संगठन के सदस्य होने के नाते उन्हें दल के नेताओं को बताना चाहिए। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वे देश के प्रति उत्तरदायी नहीं, बल्कि अभिप्राय यह है कि समाचार पत्रों को सूचना देने से पहले उन्हें दल को सूचित करना चाहिए। मुख्यमंत्रियों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। यदि उनके विरुद्ध कोई शिकायतें हों तो पहले उन्हें स्वयं निर्णय करना चाहिए और फिर मुझे निदेश करना चाहिए। मैं विश्व को यह आभास नहीं देना चाहता कि यह देश भ्रष्टाचार से भरा हुआ है।

मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में ईमानदारी का सर्वाधिक सम्मान किया जाता है। विनोवा भावे जैसे ईमानदार और श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना में प्रधानमंत्री का सम्मान यहां कम होता है। अत: सामान्यत: यह देश ईमानदार है।

एक बात यह है कि मंत्रियों और प्रशासन को स्वविवेक का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। इसके बिना तो प्रशासन जड़वत हो जाएगा। यदि हम अधिकारियों पर विश्वास न करें तो उससे बहुत कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी क्योंकि प्रशासन का सारा संचालन उन्हें करना होता है।

मैं श्री संजीवा रेड्डी को मंत्रिमंडल में लेने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब कहीं परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो इस धंधे के लोग सदा इसका विरोध करते हैं। ऐसा ही आंध्र प्रदेश में हुआ था। वहां के उच्च न्यायालय ने कहा था कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए, किन्तु उच्चत्तम न्यायालय ने कहा कि ये आरोप खंडित नहीं किए गए। मुख्यमंत्री को राज्य के कानूनी सलाहकार ने कहा था कि वे शपथपत्र न दें, इसलिए उन्होंने शपथपत्र नहीं दिया। अत: तकनीकी आधार पर उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसी प्रकार के तकनीकी विषय पर इस सभा में कहा गया था कि श्री कैरों को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। किन्तु श्री संजीवा रेड्डी ने अनुभव किया कि उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें पद पर आरूढ़ नहीं रहना चाहिए।

*** *** ***[1]

केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने श्री संजीवा रेड्डी के पद त्याग की सराहना की क्योंकि यह

लोकतंत्र की उच्च परम्परा के अनुकूल था। इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

श्री हीरेन मुकर्जी ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं श्री नेहरू के पथ से विचलित हो रहा हूं। प्रोफेसर होने के नाते उन्हें स्थिति को समझ लेना चाहिए था किन्तु वे साम्यवादी हैं अत: उनके लिए समझना कठिन है। लोकतंत्र में पथ से विचलित नहीं हुआ जाता। मैंने पद भार संभालते ही कहा था कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में श्री नेहरू की नीति का पालन करेगी और आन्तरिक मामलों में लोकतंत्रात्मक समाजवाद के आदर्श की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगी। किन्तु फिर भी उन्होंने मेरी आलोचना की है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सोचने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्र संघर्ष के 40 या 42 वर्ष के इतिहास से यह बात स्पष्ट हो जाती है। महात्मा गांधी ने जब उस संघर्ष की बागडोर संभाली तो उन्होंने उसके दर्शन में आमूल परिवर्तन कर दिया था। लोकमान्य तिलक इस सिद्धांत के पक्ष में थे कि "जैसे को तैसा" व्यवहार करना चाहिए। श्री अरविन्द सशस्त्र संघर्ष के पक्ष में थे। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेहरू जी उनके शिष्य थे किन्तु उन्होंने अहिंसा को कभी सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया। फिर भी वे गांधी जी के निष्ठावान भक्त थे और उन्होंने अहिंसा को इस रूप में अपनाया था कि श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उपाय भी श्रेष्ठ अपनाने चाहिएं। उन्होंने अहिंसा में शान्ति का संदेश पाया था। नेहरू जी ने विश्वभर में अहिंसा और शांति का सन्देश पहुंचाया। प्रशासन का कार्यभार संभालने पर वे गांधी जी के सब सिद्धांतों को प्रशासन में कार्यान्वित नहीं कर सके।

*** *** ***[2]

भारत की ही बात क्यों कही जाए। रूस को लीजिए। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया, किन्तु विफल होने से उसने नई आर्थिक नीति को अपनाया। उसके बाद स्टालिन तो क्रान्तिकारी था ही नहीं। वह तो केवल अपने शासन को सशक्त बनाने और सत्तारूढ़ रहने के लिए ही प्रयत्न करता रहा है। श्री ख्रुश्चेव ने स्टालिन से सर्वथा भिन्न मार्ग को अपनाया। साम्यवाद के क्षेत्र में दूसरे महान नेता माओत्सेतुंग ने किस मार्ग को अपनाया, उसे आप सब जानते हैं। श्री ख्रुश्चेव सब से महान हैं क्योंकि वे पिटे-पिटाये मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं थे।

*** *** ***[3]

मैंने नेहरू जी से दो बातें सीखी हैं। उनकी एक खूबी यह थी कि वे उन लोगों के साथ भी मिल कर काम कर सकते थे, जिनके साथ उनका सर्वथा मतभेद होता था। विपक्षी सदस्यों की अपेक्षा मैं उन्हें अधिक अच्छी तरह जानता था। टंडन जी के साथ उनका घोर मतभेद था, किन्तु फिर भी वे उनसे मिलकर काम करते थे।

वे अधिक सीधे थे। इतने सीधे थे कि यदि कोई उन्हें बताता था कि अमुक व्यक्ति बुरा है तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। किन्तु किसी व्यक्ति के यह कहने पर उसकी व्यर्थ में निन्दा की जा रही है, वे तुरन्त मान लेते थे।

श्री बुलगानिन और श्री ख्रुश्चेव को दिए गए भोज में श्री नेहरू ने कहा था कि हमारे देशों में मैत्री-भाव बढ़ रहा है, यद्यपि हमने अलग-अलग मार्गों को अपनाया है। हमारी अलग परम्परा है। हम विश्व-शांति में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छे उपाय अपनाने चाहिए। हम किसी सैनिक गुट में नहीं हैं। हमारा शिविर शांति और सद्भावना का शिविर है। इससे पता चलता है कि श्री नेहरू की नीति क्या थी और हम उसी नीति पर चलते रहेंगे। मैं सर्वथा अपनी ओर से काम नहीं कर सकता। मैं एक राजनैतिक संगठन का सदस्य हूं और उसने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है।

उस संगठन के आदेश का मुझे पालन करना है। यह संगठन भारत के जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है। इस उद्देश्य से विचलित होते ही इस संगठन का भी अन्त हो जाएगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता और न मूलभूत नीति से विचलित हो सकता हूं। हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे और इसे यथासंभव शीघ्र प्राप्त करेंगे।

श्री हीरेन मुकर्जी को हम में फूट डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं; मैं उनकी चाल में नहीं आ सकता; किन्तु मुझे उनसे सहानुभूति है। हमारी नीति और प्रशासन की वह जो आलोचना करते हैं, मैं उसे स्वीकारने और पधारने के लिए तैयार हूं, किन्तु उनके द्वारा किए गए आरोपों पर मुझे बहुत दुःख हुआ है।

*** *** ***[4]

मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों में हमने सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। वास्तव में उनकी समस्या यह है कि साम्यवादी दल में फूट है, इसलिए वे इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं।

*** *** ***[5]

मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस पर चर्चा होगी। किन्तु हम ने इस क्षेत्र में एक निश्चित मार्ग को अपनाया है और वह मार्ग है: समझौते का मार्ग तथा उपनिवेशवाद एवं जातीय भेदभाव का विरोध। युद्ध का खतरा विश्व के लिए घातक है।

श्री जय प्रकाश नारायण के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मेरा कोई पत्र नहीं लेकर गए थे। वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान–दोनों में साम्प्रदायिकता को समाप्त किया जाए और मैं इस काम में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था। कश्मीर के बारे में हमारी वही नीति है जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री की थी। मैं अलग-अलग रहने में कोई विश्वास नहीं रखता बल्कि दूसरों के साथ विचार-विमर्श करके दूसरों का मत जानने में विश्वास रखता हूं। चीन के सम्बंध में स्थिति वैसी ही है, किन्तु आवश्यक समझने पर उनके साथ बातचीत की जा सकती है। हम अपनी रक्षा सेनाओं को सुदृढ़ बना रहे हैं और इस बारे में रक्षा मंत्री सोमवार को वक्तव्य देंगे। मलेशिया के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बंध हैं और हमने सदा इस बात का समर्थन किया है कि इण्डोनेशिया और मलेशिया को परस्पर मिल कर अपने मामले हल करने चाहिए। अन्त

में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र और समाजवाद को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और हम राजनैतिक स्थायित्व के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। समाजवाद से हमारे श्रमिकों का जीवन सुधरेगा और जन-कल्याण होगा।

*** *** ***[6]

जहां तक कश्मीर का संबंध है, शेख अब्दुल्ला को ग्यारह वर्षों के पश्चात् रिहा किया गया। अत: वे अपने विचारों को पहले व्यक्त नहीं कर पाए। अपनी रिहाई के बाद अब उन्होंने उन्हें व्यक्त किया है; अत: इसमें चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है। यदि उनकी गतिविधियों से देश की सुरक्षा पर आंच आएगी तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

*** *** ***[7]

उनके स्वर में अलगाववाद अब हल्का पड़ गया है। अब वह सतर्क रहते हैं कि ऐसा कुछ न करें जिससे सांप्रदायिक स्थिति खराब हो। कश्मीर का प्रश्न कश्मीर सरकार का आंतरिक मामला है। हमें इस विषय में धैर्य से काम लेना चाहिए।

चीन के संदर्भ में मैं वार्ता के द्वार बंद नहीं करना चाहता, जब तक इसके लिए कोई ठोस आधार न हो। एक भूखंड को दे देना किसी प्रधानमंत्री के लिए भी संभव नहीं है। यह खेद का विषय है कि जब हम शांतिपूर्ण वार्ता का मार्ग लेते हैं तो उसे हमारी कमजोरी समझा जाता है। जबकि तथ्य यह है कि जो शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं, आवश्यक नहीं है कि वे कमजोर हो। हम चीन के साथ वार्ता करेगें लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उसका परिणाम क्या होगा?

## पश्च टिप्पण

### I. मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, 18 सितम्बर, 1964

1. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : उच्चतम न्यायालय ने तो लिखा है कि निगम ने कोई और निर्णय किया था और श्री संजीवा रेड्डी ने उसे बदलवाया।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं उनके साथ इस निर्णय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। इसके अन्त में लिखा गया है कि आरोपों का खण्डन नहीं किया गया।

2. **डॉ. राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद)**: क्या आप भी नेहरुजी के साथ इसी तरह संबंध का निर्वाह करेंगे।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस विषय पर भी स्पष्ट कहूंगा।

3. **श्री जी. भ. कृपालानी (अमरोहा)**: तब सरकार को अक्सर नेहरू के नाम का सहारा नहीं लेना चाहिए।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: हम अपने कृत्य के लिए पूर्णत: उत्तरदायी हैं, किन्तु हम अपने महान नेता को कभी भूल नहीं सकते।

4. **श्री ही. ना. मुकर्जी**: जब प्रधानमंत्री का उल्लेख किया जाता है तो वह व्यक्तिगत उल्लेख नहीं होता, बल्कि मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि के रूप में उल्लेख होता है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: आप मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों को देखिए।

5. **श्री ही. ना. मुकर्जी**: श्रीमान् व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था किन्तु राजनैतिक आरोप लगाया था। परन्तु वे बार-बार कह रहे हैं कि उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: अच्छा होता कि जिस समय वे बोल रहे थे, उस समय भी उनका यही रुख रहता। विचित्र बात है कि वे मुझे सिद्धांत के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं। किन्तु साम्यवादी दल का क्या हुआ। चुनाव के समय उन्होंने डी.एम. के साथ गठजोड़ किया था। जिस समय चीन का आक्रमण हुआ तो वे शंकाग्रस्त थे और भारत तथा चीन को एक ही सार पर देख रहे थे। वे कहते थे कि आक्रमण तो हुआ है किन्तु आक्रान्ता कौन है। पता नहीं कि यदि उन्हें आक्रान्ता का पता नहीं तो वे इस देश का क्या करेंगे। फिर भी मैं श्री हीरेन मुकर्जी को इस बात का श्रेय देता हूं कि आखिर उन्हें अब पता चला है कि चीन की नीति क्या है।

6. **श्री बागड़ी**: कृपया प्रधानमंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि हम चीन को अपनी भूमि देकर उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (बिजनौर): प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि कोई भी उनके भाषण के दौरान टोका-टाकी न करें और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वह उनका भाषण समाप्त

होने पर पूछ सकता है। इसलिए मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस सभा के माध्यम से देश को यह बताना चाहेंगे कि शेख अब्दुल्ला के संबंध में सरकार की नीति क्या है क्योंकि उनकी रिहाई के बाद कश्मीर में स्थिति बिगड़ गई है।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर): प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए वचनबद्ध है तो क्या वे इसके लिए भी वचनबद्ध है कि चीन ने आक्रमण द्वारा जिस भूमि पर कब्जा किया है उसे वार्तालाप द्वारा छुड़ाया जाएगा।

7. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: जब शेख अब्दुल्ला देश के एक हिस्से को अलग करने के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों सरकार इस बात को सहन कर रही है?

# ब्रिटेन यात्रा के बारे में वक्तव्य

## 9 दिसम्बर, 1964

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री हेरोल्ड विल्सन के निमंत्रण पर मैंने 3 से 6 दिसम्बर 1964 तक लंदन की यात्रा की। ब्रिटेन में मेरा यह दौरा थोड़े समय का ही था किन्तु यह नि:सन्देह फायदेमन्द रहा।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलने से पूर्व मुझे वहां की महारानी से भी मिलने का मौका मिला।

श्री हेरोल्ड विल्सन और उनके अन्य सहयोगियों के साथ मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने मैत्रीपूर्ण और अनौपचारिक वातावरण में अपने विचारों का खुलकर आदान-प्रदान किया। चर्चा के लिए कोई, रस्मी विषय-सूची नहीं थी। फिर भी हमने निम्नलिखित विषयों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया:—

(i) जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, हमारी निगाह में तथा उनकी निगाह में, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में।

(ii) शान्ति, निरस्त्रीकरण विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुपक्षीय सेना, शेष उपनिवेशों के लिए आजादी तथा विकासप्रणित देशों के लिए सहायता कार्यक्रमों सम्बन्धी समस्याएं।

(iii) ब्रिटेन की भुगतान-शेष समस्या।

(iv) भारत के विकास कार्यक्रम तथा भारत की प्रतिरक्षा आवश्यकताएं।

जैसा कि सभा को मालूम है मैं कोई विशेष प्रार्थना अथवा प्रस्ताव लेकर ब्रिटेन नहीं गया था। फिर भी विचारों का आदान-प्रदान लाभदायक रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगियों ने एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने के लिए प्राय: अनौपचारिक रूप से विभिन्न स्तरों पर विचारों के आपसी आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया यद्यपि कुछ विशिष्ट मामलों पर हमारे बीच मतभेद ही क्यों न हों, उनका विचार था कि विश्व की पेचीदा और कठिन स्थिति में इस प्रकार की वैयक्तिक चर्चा विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण के हित में होगी और इस से विश्व की, विशेषकर विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी सहायता मिलेगी।

एक बात जोकि हमारी विशेष दिलचस्पी की है और जिस पर ब्रिटेन का भी ध्यान गया है चीन द्वारा हाल में किया गया अणु विस्फोट तथा भारत सरकार की अणुशक्ति स्थिति पर इसका प्रभाव है। इस विषय पर हमारे विचार स्पष्ट हैं। भारत शांति के मार्ग पर चलता रहेगा और परमाणु खतरे के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र

नहीं हैं उनके इस मामले पर विशेष ध्यान देना है और भारत सरकार ने इस विषय में और सरकारों के साथ सम्बन्ध बचाए रखे हैं। इसके साथ ही यह अमरीका और रूस जैसी बड़ी-बड़ी परमाणु शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वह इस खतरे के निराकरण के लिए ठोस उपाय सोचें। हमें यह भूल न जाना चाहिए कि परमाणु अस्त्रों का खतरा समस्त मानव जाति के लिए है। हमने अपने विचार निश्चित रूप से व्यक्त किए और उन्होंने उनका स्वागत किया।

ब्रिटेन की सरकार तथा नेताओं की भारत के प्रति जो मैत्री की भावना है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं।

मैंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा श्रीमती विल्सन को भारत आने का निमंत्रण दिया है और उन्होंने उसे स्वीकार किया है। हमें उनके आगमन की प्रतीक्षा है।

*** *** ***[1]

## पश्च टिप्पण

II. **ब्रिटेन यात्रा के बारे में वक्तव्य, 9 दिसम्बर, 1964**

1. **श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि यदि चीन परमाणु बमों को बनाने से पीछे नहीं हटता है, तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं किन्तु वास्तविक उपाय तो यही होगा कि हम चीन को अपनी अणु बम शक्ति का प्रयोग न करने दें।

**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्त शासी जिले) : समाचार है कि प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि अमरीका और रूस जैसी परमाणु शक्तियों द्वारा गैर-परमाणु देशों को किसी देश द्वारा किए गए परमाणु हमले के विरुद्ध एक तरह की गारंटी दी जानी चाहिए। क्या यह सुझाव देने से पूर्व सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की राय का पता लगाया था?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। इस विषय पर कोई विशेष विचार-विमर्श नहीं हुआ जब उन्होंने इस विषय पर चर्चा की तो मैंने भारत सरकार का मत उनके समक्ष रखा। जिसपर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : प्रधानमंत्री का ध्यान ब्रिटेन के राष्ट्र मंडलीय सचिव के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत को सैनिक सहायता देते समय ब्रिटेन ने तीन शर्तें लगा दी हैं और उनमें से एक शर्त यह है कि ब्रिटेन को इस बात का अधिकार होगा कि वह भारत को दिए गए हथियारों का निरीक्षण करें और ब्रिटीश हाईकमीशन के अधिकारों यह काम करेंगे? यदि हां, तो क्या इस विषय पर भी बातचीत हुई है?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि मैंने श्री बाटमाले का वह वक्तव्य नहीं पढ़ा है। यदि उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो तो हम ब्रिटेन की सरकार के साथ इस पर बातचीत करेंगे।

**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : प्रधानमंत्री ने परमाणु शक्तियों वाले देशों द्वारा गैर-परमाणु देशों को परमाणु खतरे से बचाने के लिए गारंटी देने के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया का पता लगाया है?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कह सकते हैं लेकिन उनका विचार था कि परमाणु शक्ति वाले देशों को ऐसे उपाय ढूंढ़ने चाहिए जिससे कि गैर-परमाणु शक्ति वाले देश किसी खतरे में न रहे अथवा जिससे कि चीन या दूसरे अणुशक्ति वाले देशों का खतरा घट जाएं।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या प्रधानमंत्री का यह विचार था कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस एक ऐसा संयुक्त अणुशक्ति संरक्षण प्रदान करें जिससे कि उन देशों का खतरा घट जाऐ जिनके पास अणुअस्त्र नहीं हैं? क्या श्री विल्सन ने श्री जानसंन के साथ इस पर चर्चा करने की बात कही थी?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले भाग में जो कुछ कहा है वह अधिकांश रूप से सही है, मैंने संरक्षण अथवा ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन मैंने यह कहा था कि परमाणु-शक्ति वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे उपायों पर विचार करें जिनसे कि अणुअस्त्रों का खतरा कम हो जाए। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इस बात का फैसला करना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का काम है। उन्होंने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बेरकपुर) : क्या प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव दिया था कि परमाणु अस्त्रों के निर्माण को अन्त करने तथा अस्त्र; भण्डारों के नाश के उद्देश्य से परमाणु परीक्षण रोक सन्धि को और व्यापक करके फ्रांस और चीन पर भी लागू किया जाऐ? क्या उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव श्री विल्सन के सामने रखा था?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने उन्हें सुझाव दिया कि परमाणु परीक्षण रोक संधि को और बढ़ा दिया जाए लेकिन दूसरे तरीकों से। अर्थात् यह कि भूमिगत परीक्षण भी बंद हो आदि। नि:सन्देह इसका मतलब यह भी होगा लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया कि चीन और फ्रांस को भी मास्को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अपील की जाए। लेकिन मैंने वह सुझाव नहीं दिया।

# भाषा के मामले पर वक्तव्य

## 25 फरवरी, 1965

भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिए 23 और 24 फरवरी, 1965 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में इस बात पर बहुत खेद व्यक्त किया कि किसी प्रकार की शिकायतों की ओर ध्यान दिलाने के उद्देश्य से लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जाए। इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला बड़ी कड़ाई से किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य तो लोकतन्त्र की जड़ें ही काट देंगे। चाहिए यह कि सभी पक्ष बातचीत द्वारा समस्याओं का हल निकालें।

साथ ही सम्मेलन ने यह भी स्वीकार किया कि वास्तविक कठिनाइयों को और अधिक भ्रामक प्रचार के कारण पैदा होने वाली निराधार आशंकाओं को जल्द दूर किया जाना चाहिए। सम्मेलन ने उन बातों की याद दिलाई जिनके द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्यों और उनकी ओर सतर्कता के साथ बढ़ने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। इस विषय में संविधान के उपबन्ध राजभाषा अधिनियम, तीन भाषाओं को शिक्षा का आधार बनाने का निर्णय और वे आश्वासन जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोक सभा में दिए थे और जिन्हें राष्ट्र के नाम 11 फरवरी, 1965 को मेरे द्वारा दिए गए मेरे एक रेडियो भाषण में दुहराया गया था और जिनकी व्याख्या की गयी थी।

हिन्दी संघ की राजभाषा है और अंग्रेजी उसकी एक सहभाषा बनी रहेगी। इन मूल निर्णयों में फेर-बदल करने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि केवल इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक ठोस नीति बन सकती है। विचारणीय बातें तो इन फैसलों से उत्पन्न होने वाले कुछ व्यावहारिक प्रश्न हैं जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन और उक्त आश्वासनों को पूरा किया जाता है। मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि इन प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न राज्यों को अखिल भारतीय सेवाओं में न्यायपूर्ण भाग प्राप्त हो। यह अनुरोध किया गया कि प्रादेशिक भाषाओं को अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए माध्यम बनाने के प्रश्न पर गौर किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता के विषय पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने जो त्रिभाषायी सूत्र बनाया था, सम्मेलन में उस सूत्र के कार्यकरण पर भी विचार किया गया। यह फैसला किया गया कि इस सूत्र पर सक्रिय रूप में अमल होना चाहिए। यह अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने तथा देश के विभिन्न भागों के लोगों में परस्पर सम्यक् रूप में पत्र-व्यवहार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा, विशेषत: दक्षिण की किसी भाषा और अंग्रेजी के अध्ययन को बढ़ाया जाए तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी और संबंधित प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के अध्ययन को बढ़ाया जाए। उपरोक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए संघ सरकार अपेक्षित कार्यवाही करेगी।

*** *** ***[1]

यह सुझाव मात्र है अंतिम निर्णय संसद द्वारा लिया जाएगा।

*** *** ***[2]

## पश्च टिप्पण

### III. भाषा के मामले पर वक्तव्य, 25 फरवरी, 1965

1. **श्री नाथ पाई** : क्या मुख्यमंत्रियों की ओर से राष्ट्रीय एकता परिषद् जैसी संख्या को उभार कर लोगों में राष्ट्रीय चेतना निर्माण करने का कार्य किया जाएगा, ताकि समस्त जटिल तथा नाजुक समस्याओं का सन्तोषजनक हल किया जाए। वैसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री सब के प्रतिनिधि थोड़े ही हैं।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कांग्रेसी मुख्य मंत्री केवल कांग्रेस दल के प्रतिनिधि हैं। वे कांग्रेस दल के ही प्रतिनिधि हों परन्तु सारे राज्य के प्रशासन प्रमुख तो हैं। मैं शीघ्र ही संसद के विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाऊंगा। हम राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक भी बुलाऐंगे।

**श्री रंगा** : हम यह तो चाहते हैं कि देश में राष्ट्रीय ऐक्य हो परन्तु राष्ट्रीय एकता का परिषद् का ढंग हमें पसन्द नहीं है। परिषद् का कार्य दलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। सभी प्रमुख तत्वों और व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। आज जो संकट हमारे समक्ष आकर खड़ा हो गया है उसके लिए भी हमारे अपने लोग ही उत्तरदायी हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इस बात को अपने समक्ष रखे।

मेरे विचार में ये मुख्यमंत्री त्रिभाषा सूत्र पर एक मत हुए दिखाई देते हैं। इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है, परन्तु उस में भी तनिक सचेत रह कर काम करना होगा। इसके कारण ही गड़बड़ हो सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा निवेदन है कि यह समय सुझाव देने का नहीं, केवल स्पष्टीकरण है।

**श्री रंगा** : क्या उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा जिन्हें कि भाषा आन्दोलन में गिरफ्तार किया गया था।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : रिहाई का प्रश्न तो राज्य सरकार ही तय कर सकती है, वह इस दिशा में कार्यवाही करेगी।

**श्री ही. ना. मुकर्जी** (कलकत्ता केन्द्र) : इस मामले पर हम संसद में भी चर्चा कर चुके हैं। हमें इस बात की आशा थी कि इस दिशा में सरकार अल्प और दीर्घकालीन ठोस पग उठाएगी। परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार का ऐसा विचार लगता नहीं। केवल इतना ही कहा गया है कि दलीय नेताओं की एक बैठक बुलाई जाएगी और परामर्श किया जाएगा। परन्तु मेरा निवेदन पहले उस गर्मी को दूर किया जाना चाहिए जो कि पिछले दिनों पैदा हो गई थी। यदि ऐसा न किया गया तो दीर्घकालीन कार्यक्रम भी सफल नहीं हो सकेगा। मेरा मत यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में जो जज़बात भड़के थे उन

के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस दिशा में किसी प्रकार की न्यायिक जांच इत्यादि करवाने का कोई इरादा प्रधानमंत्री का दिखाई नहीं देता।

प्रिय मित्र श्री नाथ पाई ने राष्ट्रीयता परिषद् का उल्लेख किया है। इस प्रकार की बात दीर्घकालीन है और प्रधानमंत्री की राय इस के पक्ष में है। परन्तु श्री रंगा ने भी ठीक ही कहा है कि इस तरह के सम्मेलन कुछ औपचारिक रूप धारण कर लेते हैं। इस में केवल राजनीतिक दलों के लोगों को ही न लाकर वैज्ञानिकों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा लेखकों को आगे लाना चाहिए : देश में राष्ट्रीय एकता और संगठन हो इसके लिए आन्दोलन तो होना ही चाहिए। मुख्यमंत्रियों से तो यह आशा करनी चाहिए कि वे भाषा समस्या को सुलझाने के लिए कोई राज मर्मज्ञों वाली बात करेंगे, परन्तु प्रधानमंत्री के भाषण से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता।

**श्री बैरो** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं जानना चाहता हूं कि राज भाषा अधिनियम में क्या संशोधन करने का निर्णय हुआ है। क्या विभिन्न राज्यों को सेवाओं के लिए कोटा निर्धारित किया जाएगा?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस बारे में मामले का परीक्षण करना होगा। विभिन्न राज्यों को सेवाओं में कोटा निर्धारित करने का प्रश्न भी गम्भीरता से सोचने वाला है। सरकार इस पर विचार करेगी।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बहरामपुर) : क्या यह ठीक है कि श्री अ. कु. सेन तथा गृह-कार्य मंत्रियों के सुझावों पर विचार किया गया था।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : कोई ऐसी बात नहीं।

**श्री युद्धवीर सिंह** (महेन्द्रगढ़) : क्या कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा यह भी कहा गया था कि अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चितकाल तक चलता रहना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न को अनुमति नहीं दे सकता। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे विवादास्पद मुद्दों को न उठाएं।

**श्री मनोहरन** (मद्रास दक्षिण) : मुझे मुख्यमंत्रियों के निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना है, मुझे केवल निवेदन करना है कि अब सारा दक्षिण भारत शान्त है। परन्तु राज्य सरकार द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। विधान सभा तथा नगर निगमों के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या सारे देश में शांति स्थापित करने की दिशा में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि मुझे इन बातों का विस्तार से पता नहीं। मामला राज्य सरकार द्वारा निपटाया जाना चाहिए। फिर भी मैं मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

**श्री मनोहरन** : मद्रास के मुख्यमंत्री आजकल राजधानी में ही हैं।

**डॉ. मा. श्री अण** (तागपुर) : मुख्यमंत्रियों को निर्णयों को सदन के समक्ष चर्चा का विषय बनाने का उद्देश्य क्या है। क्या सदस्यों की सहायता से सरकार उन पर और आगे विचार करना चाहती है?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट पर चर्चा के समय इन प्रस्थापनाओं का उल्लेख हो सकता है। परन्तु सदस्यों का सहयोग तो हमें सदा अपेक्षित है।

2. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** (बिजनौर) : क्या सरकार राजभाषा अधिनियम में किसी संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसे दक्षिण को यह आश्वासन देने के लिए पारित किया गया था कि हिन्दी किसी पर भी थोपी नहीं जाएगी । क्या मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है।

# राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

## 2 मार्च, 1965

इस प्रस्ताव पर चर्चा लम्बी हो गयी है। लगभग सभी सदस्यों ने जो इस पर बोले भाषा समस्या की गम्भीरता से प्रभावित थे। मद्रास राज्य में हिंसक कारनामें हुए। सबने उसका उल्लेख किया। भयानक कारनामें हो गए और कई लोग मर गए, लूटमार हुई, मकान जला दिए गए। सब कुछ बड़ा दु:खदायी और खेदजनक है।

श्री हीरेन मुकर्जी का सुझाव है कि हमें सब कुछ भूल कर एक नया अध्याय आरम्भ करना चाहिए। विद्यार्थी ने जोश में आकर गलत बातें कर दी हैं। परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि इन सब घटनाओं में समाज विरोधी तत्वों का भी बहुत बड़ा हाथ है। यदि उन्हें रोका न गया और उन्हें ऐसे ही लूट मार और हिंसा करने की छूट दे दी गयी तो समस्त समाज में शान्तिमय जीवन असम्भव हो जाएगा। अत: यह बड़ा ही जरूरी है कि उनके मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्रियों से बात की है और वर्तमान स्थिति में जो कुछ सम्भव है वह किया जाएगा।

जहां तक इस मामले के विभिन्न पहलुओं का सम्बन्ध है, स्वर्गीय पंडित नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासनों का बिना संकोच के तथा एकमत से स्वागत किया जाएगा। जैसा कि सभा को विदित है, भाषा के सवाल पर संसद तथा संसद से बाहर चर्चा की जा चुकी है तथा कई मामले उठाए जा चुके हैं जैसा कि राज भाषा अधिनियम में संशोधन, त्रिभाषीय सत्र, परीक्षा के लिए माध्यम तथा सेवाओं में न्यायपूर्ण भाग, उन सब बातों के विषय में मेरे अपने निश्चित तथा स्पष्ट विचार हैं, परन्तु मैं इस समय अपनी निजी राय को व्यक्त नहीं करना चाहता। मेरा विचार है कि मुझे तथा इस सभा को अपने विचार कुछ समय बाद व्यक्त करना चाहिए जब कि सारे मामले का सावधानी से अध्ययन और परीक्षण किया जाए।

एक बात बड़ी स्पष्ट है वह यह कि हिन्दी को कहीं नहीं लादा जा रहा। हिन्दी के लादे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। जो लोग हिन्दी नहीं जानते वे अंग्रेजी में अपना कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार ही प्रादेशिक भाषाओं का प्रश्न है। वह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि सभी राज्य सरकारें प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें। प्रादेशिक भाषाओं द्वारा हिन्दी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत से राज्यों ने प्रादेशिक भाषा को अपनी राजभाषा बना लिया है। हम उन्हें पूरी सहायता दे रहे हैं। वैसे भी इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भाषा की समस्या को देखना चाहिए। देश की सारी भाषाएं तो राजभाषाएं बन नहीं सकतीं। अत: मेरा निवेदन है, हमें सारे मामले पर प्राकृतिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यह अत्यावश्यक है कि देश में एक सम्पर्क या साझी भाषा हो अन्यथा देश विभिन्न भागों में बँट जाएगा और उसका विघटन हो जाएगा। उस कारण से हिन्दी को

संघ सरकार की राजभाषा माना गया या उसे ऐसा माना जाना चाहिए। साथ ही हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश की अखण्डता टूटने के बजाय कायम रहे। हमें इस मामले में मन्दगति से चलना चाहिए। हमें इस बात की स्वेच्छापूर्ण ढंग से सीखने पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। फिर भी जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते उनकी नियुक्ति तथा पदोन्नति में कोई अड़चन नहीं आएगी।

जहां तक खाद्य का संबंध है, अब यह कहा जा सकता है कि बहुत खराब स्थिति का अन्त हो चुका है। परन्तु हमें अभी कठिनाइयों का सामना करना है। चावल के उत्पादन संबंधी आंकड़े कोई 39 करोड़ टन है और हमें गेहूं की बड़ी फसल की आशा है। कुछ समय के लिए स्टाक, मार्केट में उपलब्ध है तथा हम समाहार का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खाद्यान्न के आयात को कम किया जाए परन्तु कुछ समय तक आयात के बिना हम अच्छे "बफर स्टाक" को कायम नहीं कर सकेंगे। आयात और स्वदेशी उत्पादन की सहायता से हमारे लिए कमी के समय होने वाली कठिनाइयों पर काबू पा लेना सम्भव हो सकेगा। उत्पादन की दृष्टि से ही हमने योजना में सबसे अधिक जोर कृषि पर ही रखा है। शायद मार्च का महीना कुछ कठिन निकले। हमें तनिक सूझबूझ से काम लेना होगा। अप्रैल से नयी फसल मंडी में आ जाएगी।

कृषि उत्पादन की ओर राज्य सरकारों को अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह उनका उत्तरदायित्व है। वह इस ओर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि न हुई तो उनको और उनके लोगों के लिए यह बहुत हानिकारक होगा। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक खेत की जांच होनी चाहिए कि वहां उत्पादन बढ़ा है कि नहीं और यदि नहीं बढ़ा तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बढ़ते हुए मूल्यों के कारण हम बहुत चिन्तित हैं। कुछ दिन हुए वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे वित्तीय उपाय किए हैं जिनसे मुझे आशा है कि मूल्य अधिक नहीं बढ़ेंगे। बजट प्रस्तावों के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इन प्रस्तावों से सर्वसाधारण को कुछ हद तक सहायता मिली है और हमें इस प्रकार का बजट आगे भी जारी रखना पड़ेगा। इस वर्ष का बजट, एक संतुलित बजट है और इसमें देश की गरीब जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। आय और जीवनयापन स्तर में असमानता को कम करने की उद्देश्यपूर्ति के लिए नगर सम्पत्ति पर कर लगाया गया हैं सरकारी क्षेत्र में अधिक कारखाने और उद्योग खोलने से कुछ लोगों के हाथ में धन इक्ट्ठा नहीं होता और लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमने सरकारी क्षेत्र में आधार और भारी उद्योग आरम्भ किए हैं। यह एकदम लाभ नहीं देते हैं। परन्तु जहां कहीं वह स्थापित किए गए हैं उन्होंने मुख्य और सहायक उद्योगों को सहायता दी है।

श्री रंगा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में घाटे के बजट का निर्देशन किया है। वित्त मंत्री ने प्रतिरक्षा की भारी मांगों के बावजूद सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया है। मैं श्री रंगा से सहमत नहीं हूं कि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दोनों योजनाओं से अधिक रही है।

श्री मुकर्जी ने कहा था कि विदेशी पूंजी के पक्ष में हमारी नीति में भारी परिवर्तन हुआ है। इस सम्बन्ध में 6 अप्रैल, 1949 को संसद में पंडित जवाहर लाल जी के भाषण से उद्धरण

देना चाहता हूं इसमें उन्होंने विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में नीति बनाई थी। उसी नीति का हम अभी तक पालन कर रहे हैं।

"किसी भी उपक्रम का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय हाथों में होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय हित में हुआ तो विदेशी पूंजी का किसी उपक्रम पर सीमित अवधि के लिए नियंत्रण पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। विदेशी पूंजी का उपयोग हम न केवल इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय पूंजी देश के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक ज्ञान केवल विदेशी पूंजी के साथ ही प्राप्त हो सकता है।"

जब भी हम किसी विदेशी संस्था से सहयोग करते हैं तो अधिकांश शेयर अपने पास रखते हैं। कुछ मामलों में जहां तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं होता अधिकांश शेयर रखना सम्भव नहीं है। परन्तु जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है हम केवल आधार और भारी उद्योगों के लिए ऐसे सहयोग स्वीकार करते हैं। यदि किसी विदेशी संस्था को हम अधिकतम शेयर दे भी देते हैं तो वह भी सीमित अवधि के लिए दिए जाते हैं। उस अवधि के बाद उनको वह शेयर भारतीय सहयोगी को बेचने पड़ते हैं।

हमारा उद्देश्य समाजवाद है और हम इसे विभिन्न योजनाओं द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। यह आयोजना का कार्य बहुत कठिन है क्योंकि जनता की आवश्यकताएं बहुत अधिक है। यदि इन आवश्यकताओं को देखते हुए योजना बनाई जाए तो वह इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके लिए संसाधनों को ढूंढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। हमें योजना को वास्तविक संसाधनों को देखते हुए तैयार करना चाहिए।

दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने संसाधनों की स्थिति की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए। दूसरे उत्पादन विनियोजन के अनुसार होना चाहिए। यदि विनियोजन अधिक हुआ और उत्पादन कम हुआ, तो इससे स्फीति होगी। योजना को प्रभावकारी रूप से और शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए हमें चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रत्येक परियोजना को सविस्तार ब्यौरे सहित तैयार करना चाहिए, दूसरे प्रत्येक एकक का समय और परिव्यय नियत होना चाहिए। तीसरे, प्रगति पर ध्यान रखने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। चौथे, चौथी योजना की परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाना चाहिए। हमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। यदि हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी योजना सफल हो सकेगी।

अपनी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हम अपनी आधार नीतियों पर चल रहे हैं। हम प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं। विकासीय देश होने के कारण हम चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे। जिन देशों ने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की है, सब पिछड़े हुए हैं, विशेषतया आर्थिक रूप से; यह सब देश विश्व की शांति का भंग होना पसन्द नहीं करेंगे। यदि हमारी विचारधारा अन्य देशों से भिन्न है फिर भी उनके साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए तटस्थता और सह-अस्तित्व की नीति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

वियतनाम की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। हाल ही में हमने भारत सरकार की ओर से एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें हमने सुझाव दिया था कि युद्ध एकदम बन्द हो जाना चाहिए और जेनेवा की तरह का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। हमने अमरीका और रूस की सरकारों को भी लिखा है और कुछ अन्य तटस्थ देशों को भी लिखा है। उन्होंने हमारे विचार का समर्थन किया है।

*** *** ***[1]

कांग्रेस 1920 से ही इसी प्रकार की है। डॉ. लोहिया भी जब कांग्रेस में थे तो इनका बहुमत से भिन्न मत होता था। कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है और यदि इसमें भिन्न मत व्यक्त किए जाते हैं तो इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में लोगों ने कांग्रेस में अपना विश्वास दिखाया है जैसाकि उप-चुनावों और पंचायत के चुनावों से स्पष्ट है।

इस समय राष्ट्रीय एकता की बहुत आवश्यकता है। हाल ही की घटनाओं में जिन लोगों ने उत्तेजनात्मक कार्यवाहियाँ की हैं वह देश के मित्र नहीं थे। उन्होंने उन लोगों का वर्षों का कार्य जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए अपना बलिदान दे दिया, कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला दिया। संसद सदस्य किसी एक क्षेत्र के नहीं अपितु पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने देश की अखण्डता बनाए रखने के लिए शपथ ली हुई है।

लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में वाक्-स्वातंत्र्य होना चाहिए। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अनुशासन नहीं होना चाहिए। दल में अनुशासन होना चाहिए। मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए और मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक आवाज से बोलना चाहिए। मेरे कार्यक्रम और नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं जानता हूं कि मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। यह सरकार, शासन कुछ ऐसी परम्पराओं के अनुसार चलाना चाहती है जो लोकतन्त्र के लिए बहुत आवश्यक है।

---

## पश्च टिप्पण

### IV. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, 2 मार्च, 1965

1. **श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मलेशिया और इण्डोनेशिया के झगड़े के प्रति सरकार का क्या रवैया है? इस सम्बन्ध में अभिभाषण में भी कुछ नहीं कहा गया।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मलेशिया और इण्डोनेशिया के सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि दोनों देशों में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और यह प्रसन्नता का विषय है कि कुछ देश दोनों देशों में शांतिपूर्ण वार्ता करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में, मुझे आशा है, तटस्थता, सह-अस्तिव, नि:शस्त्रीकरण और शांति की नीतियों का समर्थन किया जाएगा और मुझे आशा है कि यह सम्मेलन अफ्रीकी-एशियाई एकता को सुदृढ़ करेगा।

चीन ने अणुबम का विस्फोट किया है; परन्तु हम इसका अनुकरण नहीं करना चाहते और हमने यह निश्चय किया है कि हम अणु बम नहीं बनाऐंगे। तथापि, शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए हम अणु शक्ति का विकास करते रहेंगे।

**श्री हरि विष्णु कामत** : कोलम्बो प्रस्तावों का क्या हुआ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने अधिक से अधिक कर दिया है; हमें इस मामले में और कुछ नहीं कहना क्योंकि यह कोलम्बो देशों का प्रस्ताव है।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मेरे विचार में यह उपयुक्त उत्तर नहीं है। 14 नवम्बर, 1962 को जो संकल्प सभा ने पारित किया था उसके अनुसार जिस क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया था उसको खाली करवाना प्रधान मंत्री का दायित्व है। यह उनका देश और संसद् के प्रति पहला वचन था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कदम उठा रही है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं वचनबद्ध हूं। परन्तु माननीय सदस्य, मुझे आशा है, यह नहीं चाहते कि आज ही हम चीन पर आक्रमण कर दें।

**श्री नाथ पाई** : हम चाहते हैं कि हमारी धरती को मुक्त कराया जाए।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमें अपनी तैयारी भी देखनी है और यह भी देखना है कि समय उपयुक्त है कि नहीं। बिना समस्या के पहलुओं पर विचार किए हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : आपके भाषण में देश की धरती को मुक्त कराने का लेशमात्र भी निश्चय नहीं है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि मैं कल ही चीन पर आक्रमण कर दूंगा तो मुझे खेद है....

**श्री नाथ पाई** : प्रधान मंत्री ने दो बार कहा है कि हम उनसे चीन पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। यदि हम नेफा या लद्दाख में जाएं तो क्या यह चीन पर आक्रमण होगा। यदि हम अपनी धरती पर जाएं तो शत्रु के कब्जे में है तो यह कहना कि यह आक्रमण है, सच्चाई का उत्खंडन है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जहां तक नेफा और लद्दाख का सम्बन्ध है हम वहीं हैं परन्तु और कदम उठाना....

श्री दाजी ने अभी कहा कि मैं दक्षिणपन्थी हो गया हूं। साम्यवादी दल में भी दो वर्ग हैं, दक्षिणपन्थी और वामपन्थी। हम बायें या दायें जाने के बजाए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दल में मतभेद हैं और अलग-अलग लोगों द्वारा भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिए जा रहे हैं। परन्तु इसके लिए कांग्रेस को ही दोष नहीं दिया जा सकता। साम्यवादी दल में भी फूट है और स्वतंत्रता दल में भी भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए जाते हैं। समाजवादी दल में भी मतभेद हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : परन्तु जब कोई भी दो मंत्री एक विषय पर सहमत न हों तो बात बहुत गंभीर हो जाती है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह सच नहीं है।

# मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

## 16 मार्च, 1965

डिप्युटी स्पीकर महोदय यह बहस कल से चल रही है और इसमें काफी गर्मी और काफी तेज़ी दिखलाई गई है। यहां वाद-विवाद करीब-करीब इस तरह का रहा है कि एक तरफ़ से जो बात कही जाए उसी को मानना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए और जहां तक हो सका दूसरी तरफ़ की बात को सुनने से इन्कार किया गया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सवाल को हमें शान्तिपूर्वक ही देखना है। हम इसमें अधैर्य से या बेचैनी से काम नहीं ले सकते।

जहां तक पटनायक साहब या मित्रा साहब का सवाल है उसमें बात तो यूं हुई कि प्रेजिडेंट साहब के पास शिकायतें आईं। उन्होंने वे शिकायतें गवर्नमेंट को भेजीं और फिर हमारे सामने यह सवाल था कि हम उन शिकायतों की देखभाल या जो आरोप लगाए गए उनकी जांच किस प्रकार करें। मैं यह देखने के लिए आया कि कोई प्राइमा फ़ेसी केस, कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें उन्होंने कोई गलत काम किया हो या अनुचित बातें की हों या इम्प्रापर बातें की हों। उन शिकायतों को अपनी एक कैबिनेट सब-कमेटी के सुपुर्द किया जिसमें हमारे काफ़ी सीनियर मिनिस्टर्ज़ शामिल थे। उस कैबिनेट सब-कमेटी ने उन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से और गौर से देखा। सी.बी.आई. की रिपोर्ट जब आई उसके आधार पर और उस रिपोर्ट में जो बातें थीं और जो कागज़ात थे वे भी कमेटी के पास आए और उस पर करीब एक सौ सवाल बना कर, एक सौ क्वेश्चन बना कर भेजे गए मित्रा साहब और पटनायक साहब के पास। उन सारे सवालों में जो कुछ सी.बी.आई में बातें लिखी गई थीं वे भी शामिल थीं। उनका जवाब आने पर उसके बाद फिर और पूछताछ की गई और खुद पटनायक साहब आये। कमेटी के मैम्बरों ने बहुत-सी बातों पर जिन पर कमेटी को सन्तोष नहीं था उनसे सवाल किए और उनके उन्होंने जवाब दिये। इतना ही नहीं उसके बाद उन्होंने और बहुत से डाक्युमेन्ट्स भी भेजे, बहुत से दूसरे कागज़ात भी अपनी बातों के सबूत में भेजे, जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया था कमेटी के सामने उसके सबूत भी भेजे। वहां के चीफ सैक्रेटरी से भी बयान लिया गया। इस तरह से जो बातें, जो शिकायतें रिपोर्ट में थीं उनके आधार पर भी उनसे जांच-पड़ताल की गई।

मैं कोई कानूनी आदमी नहीं हूं। लेकिन यह बात स्वाभाविक है कि सी.बी.आई. को भी अगर कोई मामला आगे बढ़ाना होता है तो वह केस कोर्ट में ले जाती है, प्रासीक्यूशन करती है। सी.बी.आई. की रिपोर्ट कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं थी। वह मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सी.बी.आई. की रिपोर्ट पर फैसला करती है। हो सकता है उसके पक्ष में करे, हो सकता है उसके खिलाफ करे। इसलिए उस रिपोर्ट को एक आखिरी रिपोर्ट मान लेना यह बात मुनासिब नहीं होगी, उचित नहीं होगी ।

जो कमेटी ने जांच की, देखभाल की जो बातचीत की, जो सवाल जवाब किये और डाक्युमेंट्स और कागज़ात आए उनके पास उनके आधार पर वह एक नतीजे पर पहुंची। उनका नतीजा जैसा आप जानते हैं यह था कि उन लोगों ने कुछ इम्प्रोप्राइटीज़ की है जिनकी वजह से कमेटी ने अपनी राय साफ उस सिलसिले में दी, उस सम्बन्ध में दी। वह यही थी कि रुपये पैसे की जहां तक बात है कमेटी ने कहा कि वह शिकायत उनकी राय में साबित नहीं होती है। इस तरह जो एक इम्प्रोप्राइटीज़ की बात आई और रिपोर्ट मेरे पास आई तो मैंने यह मुनासिब समझा उन इम्प्रोप्राइटीज़ की बातों को देख कर कि मैं मित्रा साहब से और पटनायक साहब से इस्तीफा देने के लिए कहूं।

आपको याद होगा, सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पीछे जब पार्लियामेंट के सैशन में यह नई जिम्मेदारी ली थी तब मैंने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई इनक्वायरी जांच होगी या कोई शिकायतें की जायेंगी तो शिकायतों और आरोपों की जांच के लिए मैं देखूँगा कि कोई प्राइमा फ़ेसाई केस बनता है या नहीं बनता है और अगर बना तब मैं मिनिस्टर से कहूंगा कि या तो वह इस्तीफा दे दें या इनक्वायरी कमिशन को फेस करें। तब एक इनक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाए, यह बात मैंने उस वक्त कही थी। मैं उसी पर बिल्कुल इस वक्त भी अमल कर रहा हूं। उसी बात पर मैं चल रहा हूं। अगर कोई मिनिस्टर या चीफ़ मिनिस्टर यह कहे कि हम प्राइमा फ़ेसाई बात नहीं मानते जो प्राइमा फ़ेसाई केस बनाया गया है हमारे खिलाफ उसको हम मानते नहीं तो उसका जवाब मेरे पास इतना ही है कि एक कमीशन ऑफ इन्क्वायरी आपके खिलाफ मुकर्रर किया जाता है लेकिन कमीशन आफ इनक्वायरी जब तक चलता रहेगा तब तक आप मिनिस्टर नहीं रह सकते, चीफ़ मिनिस्टर नहीं रह सकते। कमिशन आफ इनक्वायरी अगर आपको एक्विट कर दे, छोड़ दे तब फिर आप अपनी जगह पर दुबारा आ सकते हैं। बिल्कुल उसी नीति को उसी पॉलिसी को मैंने इसमें बरता है।

जब यह बात एक इम्प्रोप्राइटीज़ की आई तब मैंने मित्रा जी से और पटनायक साहब से कहा कि यह स्थिति है, यह कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें आपके खिलाफ इम्प्रोप्राइटीज़ ये प्वाइंट आउट की गई है। वैसे तो मैंने अपनी राय दे दी थी और कह दिया था कि हम आप पर छोड़ते हैं आप अपना फैसला इसके अनुसार करें, आप खुद ही फैसला करें कि आपका क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है। इस बात का यहां मैं उनको श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस्तीफे दिए। मित्रा साहब ने चीफ मिनिस्टरशिप से और पटनायक साहब ने जो चेयरमैन थे बोर्ड के और कमेटीज़ में, गवर्नमेंट कमेटीज़ में थे वहां से उन्होंने इस्तीफे दिए, त्यागपत्र दिए। जब यह बात हो गई, इस्तीफा और त्यागपत्र हो गया तब कोई और बातें इम्प्रोप्राइटीज़ वगैरह की हैं या मिसएप्रोप्रियेशन की हैं, जिसकी चर्चा उधर से की गई है तो मैं कहना चाहता हूं कि एकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल जो हैं वे उन चीजों को देख रहे हैं। जो उनकी पोजीशन है वह ठीक है। उनकी जांच पड़ताल बड़ी थौरो, बहुत पक्की, बड़ी टैक्नीकल होगी। उसके आने के बाद फिर अख़त्यार होगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर जो और कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह हो।

मेरी समझ में नहीं आता है कि कमीशन ऑफ इनक्वायरी स्थापित करने का नतीजा क्या होगा? जो यह कहा जाता है कि कमीशन ऑफ इनक्वायरी मुकर्रर की जाए, उसका क्या परिणाम होगा। नतीजा तो कमीशन ऑफ इनक्वायरी का यही होगा कि इस्तीफा देने की बात उनसे फिर कही जाए। जो कमीशन ऑफ इनक्वायरी की सिफारिश होगी अगर वह खिलाफ गई, विरुद्ध गई तो फिर उनसे रज़िग्नेशन ही की बात कही जाए। प्रॉसीक्यूशन वगैरह की बात तो सैंट्रल गवर्नमेंट के अख़्त्यार में नहीं है। गालिबन अभी जैसा कहा गया स्वतन्त्र पार्टी के एक मेम्बर साहब की तरफ से कि प्रॉसीक्यूशन की गुंजाइश हमारे लिए तो नहीं है, हम तो उसको नहीं कर सकते हैं, वह स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। वैसे यह कायदा कानून भी है। खैर उस बात को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन कमीशन ऑफ इनक्वायरी को कायम करने के बाद भी आप वही चीज़ करेंगे उसकी सिफारिश आने पर जो चीज़ भी हमने आज वहां की है। हमने तो एक तरह से देर होने से बचाई है। हमने इस मामले को लम्बा होने से बचाया है। यह चीज़ हैंग करती है, रुकी रहे, उसको हमने रोका है। इसलिए कमीशन ऑफ इनक्वायरी की नियुक्ति की बात, उसको मुकर्रर करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी जरूरत कहां है?

जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है एक और बात बड़े जोरों से, बड़ी तेजी से कही जाती है। पॉलिटिकल लेवल पर फैसला लेने की बात मैंने कही थी। अब मैं फिर कहता हूं कि उसके माने यह नहीं हैं कि अगर किसी के खिलाफ हमारे, कलीग्ज़ में से या मेरे खिलाफ कोई मिसएप्रोप्रिएशन का चार्ज हो तो उसमें हमारा प्रॉसीक्यूशन न हो। यह बात तो मैंने नहीं कही। यह पॉलिटिकल लेवेल की बात नहीं है। पॉलिटिकल लेवेल से मेरा तात्पर्य यह था, पॉलिटिकल लेवल से मतलब यह था, उसके माने यह थे कि जो जिस ऑफिस को होल्ड करता है अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है तो फौरन उसके बारे में कार्रवाई यहां गवर्नमेंट की तरफ से या मेरी तरफ से हो जिसमें उनसे इस्तीफा या रेज़िग्नेशन या त्यागपत्र देने की बात कही जाए। अभी इंग्लैंड में प्रोफ्यूमो केस हुआ है। उसमें कुछ डिफेंस सीक्रेट्स की बात भी इनवाल्वड थी। उसका हुआ क्या? उसका नतीजा तो यही हुआ कि उनका इस्तीफा लिया गया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ इनक्वायरी करना यह कोई छोटी बात नहीं है। साधारणत: एक चीफ मिनिस्टर और वह, वह चीफ मिनिस्टर जिसको कि पार्टी का पूरा समर्थन हासिल हो, पूरी सपोर्ट हासिल हो, कोई छोटी बात नहीं है। खैर, एक तो हमने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इनक्वायरी की। फिर इनक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद हमने उसे इस्तीफा देने के लिए कहा और उसका इस्तीफा होता है। और जैसा मैंने कहा, उसको अपनी पार्टी में और लेजिस्लेचर में मैजारिटी की सपोर्ट है, लेकिन तब भी वह इस्तीफा देता है। और फिर आप इसको कोई मामूली बात समझते हैं, आप इसे बिल्कुल कोई साधारण बात समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो जाए? आप अब भी समझते हैं कि इसमें क्या हुआ, और उसमें तो कुछ और ही होना चाहिए था।

यह ठीक है कि मैं कोई दुश्मनी के नाते इस बात पर विचार नहीं कर सकता, कोई विच हंटिंग करना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन जो बात इंसाफ की है उसके करने में मैं कभी नहीं रुकूंगा।

मैं यह समझता हूं कि मैंने अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, पूरी तरह से निभाई। इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि एक-एक कदम जो हमने लिया वह सारा कदम सोच समझ कर लिया और ठीक से लिया। उसमें कोई कमजोरी की बात नहीं है। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है कि कहीं से दब गए, या किसी ने दबा दिया। यह कहना कि साहब कहीं मीटिंग हुई, उस मीटिंग का असर पढ़ा, यह बात बिल्कुल नहीं है।

जब शुरू में इस चीज को देख रहे थे तो ठीक है कि होम मिनिस्टर साहब का यह ख्याल हुआ था कि इसमें काफी खराबी है और उस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी देखभाल होनी चाहिए। लेकिन यह बात तब की है जब कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी, न बातचीत हुई थी, न ये डाक्यूमेंट आए थे। मगर उसके बाद क्या हुआ? मैं समझता हूं कि इसी हाउस में होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि कोई प्राइमा फैसी केस उनके खिलाफ बनता है। तो जब उस चीज़ को आप पूरी तरह देखें और पूरी तरह एग्जामिन करें तभी आप ठीक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरा अपना ख्याल यही है कि जो कार्रवाई हुई वह ठीक है, और जहां तक हमारी गवर्नमेंट की बात है, हम उससे ज्यादा आगे जाने को तैयार नहीं हैं।

*** *** ***[1]

फॉरेन पॉलिसी भी है। मैं जानना चाहता हूं कि किस बात में ड्रिफ्ट है। जहां तक हमारी बेसिक पॉलिसीज़ का सवाल है, वे बहुत साफ हैं, चाहे वह नान एलाइनमेंट हो, चाहे वह पीसफुल कोएग्जिसटेंस की बात हो, चाहे डिस-आरमामेंट की बात हो, चाहे पीस की बात हो।

चीन की बात भी। और जहां तक अन्य देशों का सवाल है, जो हमारे खिलाफ हैं उनको छोड़ कर, हम उनके साथ अपने अच्छे सम्बन्ध कायम करने की कोशिश करते हैं।

नहीं, वह तो मैंने कहा कि जो हमारे खिलाफ हैं उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में भी उन्हीं चीजों पर अमल कर रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि कहीं किसी देश की मित्रता हमने इस बीच में खोई है।

बल्कि हमें और ज्यादा विश्वास और भरोसा मिला है उन देशों से, चाहे वह यू.एस.एस. आर. हो चाहे वह युनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वे दूसरे मुल्क हों, उन्होंने हमको विश्वास और भरोसा दिलाया है कि वे अपनी दोस्ती को मजबूत रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और उसे कायम रखेंगे।

हमारी इकॉनामिक पॉलिसी को लीजिए या फूड की पॉलिसी को लीजिए। यह ठीक है कि खाने के बारे में कठिनाइयां रही हैं, दिक्कतें रही हैं। लेकिन हमने जो नीति इस बारे में बनायी

उस पर हमने अमल किया। जहां तक जोन बनाने की बात है, हमने आज यह सोचा कि हमें जोन्स कायम रखना आवश्यक है क्योंकि हम एक बफर स्टॉक, एक रिज़र्व बिल्ड-अप करना चाहते हैं अपने देश में और उसके लिए जो सरप्लस स्टेट्स हैं वह अपने यहां अनाज और गल्ला खरीदें तब उनकी मदद से हम एक बफर स्टॉक और रिज़र्व बना सकते हैं। मैं उसके ब्यौरे में ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी यह पॉलिसी सारे देश की पॉलिसी है। यह ठीक है कि जब हमारा बफर स्टॉक और रिज़र्व बन जाएं तो हम उस पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं और उस पर सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन जो आज हमारी पॉलिसी है उसका फायदा आज भी है। मार्केट में अनाज आ रहा है–

साथ ही साथ कीमतें भी कुछ नीचे आ रही हैं। मेरा अपना खयाल है कि अगर अनाज का दाम और उस का भाव गिरता है तो और चीजों के दाम भी गिर सकते हैं।

हमने अपने बजट में डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं किया – और डेफिसिट फाइनेंसिंग न करके हमने थोड़ी इस बात की कोशिश की है कि उसकी वजह से हमारी इकॉनामी पर अच्छा असर पड़े। हमारे सामने एक नए समाज, एक सोसायटी के निर्माण की बात है और उसमें हम चाहते हैं कि हमारे कॉमन मैन, जो हमारे कमज़ोर भाई हैं, उनकी एक मदद और पूरी सहायता की जाए। हमने इस बजट में भी कुछ कदम उठाए हैं, कुछ बातें की हैं और वैसे भी अपने प्लान में उसके लिए खास जगह रखना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरीके का एक वातावरण, एक वायुमंडल पैदा करना कि साहब एक ड्रिफ्ट है, कुछ मुनासिब नहीं होगा। अब यह कहने को तो कोई भी कह सकता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन यह देश को मजबूत बनाने की बात नहीं है। इसलिए इन बातों को, एक सारे राष्ट्र के हित में, एक सारे मुल्क को ध्यान में रख कर करने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा कि यह गवर्नमेंट जो आज यहां है, मज़बूती से है, रहेगी, चलेगी और काम करेगी।

---

## पश्च टिप्पण

### V. मंत्रीपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, 16 मार्च, 1965

1. **श्री नाथ पाई (राजपुर)** : आप मजबूर किए जाऐंगे।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : खैर यह बात ठीक है, आप मजबूर करें तो वह भी हम देखेंगे कि आप कैसे मजबूर करते हैं।

**श्री राम सेवक यादव** : जनता मजबूर करेगी।

**श्री नाथ पाई** : देश मजबूर करेगा।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस देश के अन्दर अपने हाथ में गवर्नमेंट ली है, और इतनी शिकायतें करप्शन की उनके मिनिस्टरों के खिलाफ थीं लेकिन किसी एक के खिलाफ उस गवर्नमेंट ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर उसने कार्रवाई नहीं की। मैं पर्सनली जाता हूं, कागजात देखे हैं, कैसेज़ देखे हैं, और मैंने उनसे कहा कि आपको इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए लेकिन रत्ती भर देखभाल किसी कागज की नहीं की गयी।

**एक माननीय सदस्य** : जिस पर यह आरोप है, उसका नाम बताया जाए।

**श्री हरि विष्णु कामत** : यह बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हम भी देखेंगे।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसलिए यह कहना कि हम ही दूध के धोए हैं और बाकी सब साफ नहीं हैं.....

**श्री हरि विष्णु कामत** : हम इन्सान हैं।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बस यह बात सही है कि हम सब इन्सान हैं, और इन्सान में कमजोरियां भी होती हैं। कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, खराबियां उधर भी हैं, इधर भी हैं।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : उधर ज्यादा हैं।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगा कि एक वायुमंडल हमको बिल्ड करने की जरूरत है।

जैसा हमने कहा, ये तमाम कदम हमने लिए हैं, और हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : उस पर अमल नहीं हो रहा है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके उस पर अमल किया जाए। लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसमें सबके सहयोग और मदद की जरूरत है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : सन्थानम कमेटी का क्या हो रहा है?

**अध्यक्ष महोदय** : आर्डर, आर्डर। यहां भी तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर भी तो अमल होना चाहिए। अब हमें सुनना चाहिए।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जैसा मैंने कहा कि सवाल ऐसा है कि इसमें हम सबको मिल-जुल कर मदद करनी होगी तब इसको पूरा किया जा सकेगा।

जहां तक हमारी पॉलिटिकल रिसपांसिबिलिटी है, और ऑफिस में होने से हमारे ऊपर आती है, उसको हम मानते हैं और उस बोझे से हम बचना नहीं चाहते, उसे हम नहीं करना चाहते।

द्विवेदी जी ने कहा कि मित्रा साहब का नाम भी मैंने अपने बयान में दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कैबिनेट सब-कमेटी ने उनका नाम उसमें शामिल किया। मुझे लिखकर बताया गया और उसके बाद जब वह बयान मेरे पास आया था तब मैंने उनका नाम उसमें शामिल किया।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन साधारणतया यह कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि साहब एक कमजोरी है, एक ड्रिफ्ट है और इनडिसीज़न है। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं नहीं समझता कि किस मानी में, किस चीज़ में, यह बात कही जाती है कि ड्रिफ्ट है, इनडिसिज़न है आज हमारे मुल्क में हमारे सामने बहुत से सवाल हैं, टेढ़े सवाल हैं।

# कच्छ-सिंध सीमा सम्बन्धी स्थिति तथा रूस यात्रा के बारे में वक्तव्य

## 11 मई, 1965

28 अप्रैल, 1965 को वक्तव्य देने के पश्चात कच्छ-सिंध सीमा की स्थिति के बारे में मैं सभा को समय-समय पर अवगत कराता रहा हूं।

कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री विल्सन ने जो सुझाव दिए थे उन पर कार्यवाही जारी रखी गई थी तथा धीरे-धीरे ठोस प्रस्ताव बनाए गए हैं ताकि इस समस्या का सन्तोषजनक हल हो सके। हमने प्रत्येक अवसर पर यह बात स्पष्ट कर दी है कि युद्ध-विराम केवल तभी सम्भव हो सकता है जब 1 जनवरी, 1965 जैसी यथापूर्व स्थिति कायम करने के लिए एक साथ समझौता किया जाए। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब यथापूर्व स्थिति कायम हो जाएगी तब ही हम उन प्रक्रियाओं पर कार्यवाही करेंगे जिन पर सीमा निर्धारण करने के लिए दोनों सरकारों में पहले समझौता हो चुका है।

हमें ब्रिटिश सरकार से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें उन्होंने ऐसी बातों का उल्लेख किया हुआ है जिन पर दोनों सरकारों को विचार करना है। परन्तु अभी तक न तो कोई मसौदा तैयार हुआ है और न ही प्रस्तुत किया गया है। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि हमने इस सभा में जो निर्णय किया है हम उस पर स्थिर रहेंगे। पहले पूर्व-स्थिति कायम होनी चाहिए, उसके पश्चात् हम मंत्री स्तर पर बातचीत करने को तैयार हैं और यदि आवश्यकता हो तो मामला मध्यस्थ निर्णय से भी तय किया जा सकता है।

हमारी नीति तथा हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम इस बात में विश्वास नहीं रखते कि एक ओर तो हम शांति की बात करें और दूसरी ओर आक्रमण करें।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारी सेनाएं तैयार हैं और देश की प्रादेशिक अखण्डता के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इस देश के लोगों ने जो समर्थन दिया है उससे उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है।

मैं कल प्रात:काल मास्को जा रहा हूं और अपने मित्र देश रूस के लिए, जिसने इतने संकट में हमारी सहायता की है, शुभकामनाएं तथा दोस्ती की भावना अपने साथ ले जा रहा हूं।

*** *** ***[1]

माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किए उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं सभा को बता दूं कि मैंने आवश्यक प्रबन्ध कर दिए हैं और सारी जिम्मेवारी केबिनेट के मेरे वरिष्ठ साथियों पर होगी। वे सामूहिक रूप से सारे कार्य के प्रभारी होंगे और मंत्रिमंडल की बैठकें सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री नन्दा की अध्यक्षता में होंगी।

श्री मुकर्जी ने कुछ मामलों के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। जैसा कि मैंने बताया

मैंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर आपत्ति नहीं उठाई है और न ही मैं ऐसा करने का विचार रखता हूं। परन्तु मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि आधारभूत बातों के बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा।

जहां तक श्री द्विवेदी की टिप्पणियों का संबंध है हमने पहले से ही इस बात पर काफी बल दिया है कि जो कुछ किया जाना है शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री निश्चय ही इस कार्य को शीघ्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो यथासंभव शीघ्र लिया जाना चाहिए।

कंजरकोट, वियरबट और छदवेट के संबंध में जहां तक श्री ऐन्थनी की टिप्पणियों का संबंध है हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है वे कच्छ के हिस्से हैं और हम इस नीति से पीछे नहीं हटेंगे।

यह सत्र काफी समय से चल रहा है और इस सभा में जो विभिन्न सुझाव और मंत्रणा दी गई है हमें उनसे काफी लाभ हुआ है। मैं आश्वासन देता हूं कि हम सामान्य पृष्ठभूमि से अवगत हैं। सरकार की नीति की मोटी-मोटी बातें इस सभा में बता दी गई हैं और सभा ने उनको सामान्य रूप से स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि यह सभा और माननीय सदस्य सरकार पर कुछ भरोसा करें।

---

## पश्च टिप्पण

### VI. कच्छ-सिंध सीमा सम्बन्धी स्थिति तथा रूस यात्रा के बारे मे वक्तव्य, 11 मई, 1965

1. **श्री रंगा** (चित्तूर): श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो आज सुझाव दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री ने उस पर अब तक विचार कर लिया होगा और मास्को जाने से पहले वह हमें बता सकेंगे कि उनकी अनुपस्थिति में सरकार के वरिष्ठतम सहयोगी उनकी ओर से उसी प्राधिकार में काम करेंगे। इस विशिष्ट मामले के संबंध में मुझे खुशी है कि प्रतिरक्षा सेना को समय और वर्तमान संकट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए जोश में रखा जाएगा। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि उनकी अनुपस्थिति में ज़ल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मामला और पेचीदा हो जाए।

**श्री ही. ना. मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य): रूस ने बड़े आड़े समय में हमारा साथ दिया है और मझे आशा है कि श्री शास्त्री को भारत के लिए और भी अधिक सहायता मिलेगी, अब जबकि हम कुछ कठिनाई में हैं।

मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार के रवैये के संबंध में मुझे कुछ शक है क्योंकि मैं यह नहीं भूल सकता हूँ कि अमरीका के साथ-साथ उन्होंने भी कश्मीर और अन्य विषयों के संबंध में हर बार हमारी कीमत पर पाकिस्तान को सहायता दी है। मुझे शक है कि वे चालाकी से कुछ ऐसा फैसला करेंगे जिसे हम नहीं चाहते। परन्तु मैं अपनी सरकार पर विश्वास करता हूँ क्योंकि इस विश्वास के बिना संसदीय पद्धति कार्य नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री यह आश्वासन दें कि हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध हो।

**श्री उ.मू. त्रिवेदी** (मंदसौर): मैंने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और सुनकर मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हुई। वहां जाकर वह जो कुछ कहें उसमें बहुत सावधानी बरतें और बहुत सोच विचार कर कहें। कोई ऐसी वह वहां पर अपने मुंह से न निकालें जिससे अन्य देशों से हमारे संबंधों पर, जो पहले से ही कुछ अच्छे नहीं हैं, बुरा प्रभाव पड़े। हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि रूस में हमारे अच्छे मित्र हैं। परन्तु हमारे आस-पास कुछ और भी अच्छे मित्र हैं जिनका वर्तमान रवैया बहुत सहायतापूर्ण नहीं रहा है। उनके अपने कारण हो सकते हैं, परन्तु हमें उन कारणों को समाप्त करने के लिए पूरे प्रयत्न करने हैं और उनके साथ फिर से मित्रता गांठनी है।

मैं निश्चय ही उनकी सफलता चाहता हूँ, परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि देश इस समय संकट में है और उनको वह सभी कुछ करना चाहिए जो देश के हित में है।

# गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के संबंध में भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव

## 16 अगस्त, 1965

श्रीमान्, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए भावों को अच्छी तरह समझता हूँ। यह बहुत ही खेदजनक बात है कि सभा में कार्यवाही का संचालन इस तरीके से नहीं होने दिया जाता जो कि सभा की गरिमा के अनुरूप हो। निरंतर गड़बड़ पैदा की जाती है। श्रीमान् जी, जब आप भी खड़े होते हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाता। जब कभी कोई मंत्री बोल रहा होता है अथवा उत्तर दे रहा होता है तो निरन्तर अन्तर्बाधा डाली जाती है। सभा में कुछ शिष्टता से कार्य होना चाहिए और यदि हम शिष्टता से कार्य नहीं करेंगे तो, मुझे यह खेद से कहना पड़ता है, हम न केवल भारत में परन्तु बाहर भी एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे होंगे जो नितान्त हमारे विरुद्ध होगी। अत: मैं आप द्वारा सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि हमें कुछ नियमों तथा विनियमों का पालन करना चाहिए।

जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि यह पहला अवसर नहीं जब गागड़ी जी ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, परन्तु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप नियमों को इस मामले में निलम्बित करने तथा विधि मंत्री की एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाज़त दे दें। मुझे पूर्ण आशा है कि सारी सभा इससे सहमत है।

सभा को याद होगा कि पाकिस्तान द्वारा कच्छ के रन में किए गए आक्रमण के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के बीच सैनिक मुठभेड़ होने का गम्भीर खतरा था, जो जैसा कि प्रतीत होता था, कच्छ-सिंध सीमा तक ही सीमित नहीं रह सकता था। मैंने तब यह स्पष्ट कर दिया था कि हम शान्ति चाहते हैं, परन्तु उसी समय हम अपने देश की रक्षा भी करना चाहते हैं।

पाकिस्तान ने शान्ति को भंग करने तथा दोनों देशों को सैनिक मुठभेड़ में फंसाने का हर प्रयत्न किया। सीमा के उस ओर जमा हुई पाकिस्तानी सेना द्वारा पैदा किए गए संकट का मुकाबला करने के लिए हमने सेना को वहां भेजने के साथ-साथ जो अन्य कार्यवाही की, उससे पाकिस्तान ने महसूस किया कि वह इस आक्रमण से कोई लाभ नहीं उठा सकता है।

कश्मीर में वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर युद्धविराम रेखा के उस पार से छापामार, जो कि असैनिक वेश में हैं परन्तु पूरी तरह से अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं, भारी संख्या में घुस आए हैं। वे घुसपैठिए वहां पर विनाश तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं। इन घुसपैठियों का पता लगाया जा रहा है और उनसे दृढ़ता तथा प्रभावपूर्ण तरीके से पेश आया जा रहा है। मारे गए, घायल हुए तथा पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है। हमारी सुरक्षा सेनाएं तथा पुलिस, बड़ी वीरता से इस कार्य में लगी हुई हैं।

यह दोनों स्थितियां जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, भिन्न-भिन्न समय पर पैदा हुई हैं

और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद्यमान परिस्थितियों में जो कार्यवाही की गई है वह सब से अच्छी है। गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा करार पर पिछले सत्र में सरकार द्वारा अपनाए गए उस रवैये के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए, जिसका इस सभा में पहले कई बार उल्लेख किया गया है।

जैसा कि सभा जानती है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, श्री हेरोल्ड विल्सन ने 28 अप्रैल को कच्छ-सिन्ध सीमा पर उत्पन्न हुई स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए मुझे तथा राष्ट्रपति अयूब खां को यह लिखा था कि युद्ध बन्द करके उस स्थिति को पुन:स्थापित किया जाए जैसा कि 1 जनवरी, 1965 को थी, तथा उसके पश्चात् दोनों देश आपस में बातचीत करें। यह प्रस्ताव मूल रूप से हमारे रवैये के अनुरूप थे, इसलिए मैंने इनसे सहमति प्रकट करते हुए श्री विल्सन को उत्तर दिया। इसके पश्चात् काफी ब्यौरे-वार बातचीत होती रही और अन्त में 30 जून, 1965 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गए।

इस करार की मुख्य बातें यह हैं, दोनों ओर युद्ध विराम के पश्चात् सेना को पीछे हटाना और उस यथापूर्व स्थिति को लाया जाना जैसाकि 1 जनवरी, 1965 को थी । जब यह सब हो जाए तो भारत तथा पाकिस्तान के मंत्रियों के बीच बैठक हो और यदि उस बैठक में सीमा विवाद का कोई हल न निकल सके तो तब तीन व्यक्तियों का एक निर्पक्षीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाए जो इस मामले पर अपने विचार प्रकट करे। यह सब कदम उठाने के लिए करार में एक समय-सीमा निश्चित कर दी गई है। युद्ध विराम के एक सप्ताह में सेनाओं को पीछे हटाने का कार्य पूरा करना है। यथा पूर्व-स्थिति को युद्ध विराम की तारीख से एक महीने में पुन: स्थापित करना है। मंत्रियों की बैठक में चर्चा 2 महीने के भीतर होनी चाहिए तथा न्यायाधिकरण को युद्ध विराम के चार महीने के अन्दर स्थापित करना है।

वह करार 1959 तथा 1960 के भारत-पाकिस्तान सीमा करारों के अनुरूप है जो सभा के समक्ष क्रमश: 16 नवम्बर, 1959 तथा 9 फरवरी, 1960 को रखे गए थे।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले सत्र में दिए गए वक्तव्य में मैंने कहा था कि हम बातचीत करने के लिए सहमत हो जाएंगे यदि पाकिस्तान हमारे राज्य क्षेत्र को खाली कर देगा तथा यथा पूर्व स्थिति को पुन:स्थापित कर देगा। मैंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को कंजरकोट खाली करना होगा। यह सब कुछ पूरा किया जा चुका है। कंजरकोट, बियार-बेट तथा अन्य स्थानों पर, जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, अब पाकिस्तानी सेना नहीं है। पहली जनवरी, 1965 की स्थिति को पुन: लाने के सम्बन्ध में ब्यौरा तय करने के लिए दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है।

अब मैं यथापूर्व स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सामान्य रूप से इसका अर्थ यह है कि उस यथापूर्व स्थिति को लाया जाना जो कि एक विशेष समय थी। ऐसा करके हमने कोई नया सिद्धांत नहीं बनाया है।

यह प्रश्न कि 1 जनवरी, 1965 को इन विभिन्न मामलों में वास्तव में क्या स्थिति थी, एक

तथ्य का है और न कि किन्हीं प्रभुसत्ता के अधिकारों का। पाकिस्तान से आक्रमण को खाली कराने के लिए उस स्थिति को लाया जाना अनिवार्य समझा गया था। यह अन्तर्कालीन अवधि, जिसमें सीमा को सीमांकित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, बहुत ही छोटी है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सीमा का सीमांकन सम्बद्ध दस्तावेज़ों के आधार पर किया जाएगा और इसका वास्तविक अन्तर्कालीन स्थिति से कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा।

गश्त लगाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का यह दावा कि 1 जनवरी, 1965 को वे कच्छ के रन के बड़े क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे, बिल्कुल आधारहीन है। अलबत्ता, वे डिंग और सुराई, जो दोनों पाकिस्तान में हैं, के बीच जो छोटी-सी पट्टी है तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल निकट है, पर अवश्य गश्त लगाते रहे हैं, परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पट्टी का प्रयोग करने से पाकिस्तान का इस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो जाता।

मैं अपना कथन समाप्त करने से पूर्व कश्मीर के बारे में कुछ शब्द और कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, कि सशस्त्र हमलावरों ने नागरिकों के छद्मवेष में धोखेबाजी से युद्ध विराम रेखा पार की है। प्राप्त सूचना के अनुसार तथा जैसा कि अभी प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया, इन लोगों को पाकिस्तान की सशस्त्र सेना तथा उसके अफसरों ने तोड़फोड़ तथा विध्वंसात्मक कामों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया हुआ था। बन्दी बनाए गए लोगों के बयानों से जाहिर होता है कि वर्तमान सैनिक कार्यवाहियों के बारे में योजना बनाई गई है और पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुमोदन से उन्हें संचालित किया जा रहा है।

कश्मीर में इस समय स्थिति पूर्णत: नियन्त्रण में है। आक्रमणकारियों को स्थानीय जनता की मदद से भी खोज कर पकड़ा जा रहा है। सरकार तथा कश्मीर की जनता इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, और मैं जनता के साहस तथा जी. एम. सादिक साहिब के सुयोग्य नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रदर्शित शौर्य तथा दृढ़-संकल्प के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने कच्छ अथवा कश्मीर के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति का अपनी परिस्थितियों के अधीन यथासम्भव हर प्रकार मुकाबला किया है। सरकार भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी – किन्तु इस सभा में प्राप्त होने वाले जोरदार समर्थन से उसके हाथ काफी मजबूत हो जाएंगे।

---

## पश्च टिप्पण

VII. गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के संबंध में भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव, 16 अगस्त, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

## 26 अगस्त, 1965

प्रत्येक सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना कोई अच्छी बात नहीं है और विशेषकर वर्तमान स्थिति में यह पेश नहीं किया जाना चाहिए था। मैं श्री मसानी का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ अच्छी बातें कहीं। हमारी नीतियों पर मुख्य प्रहार यह किया जाता है कि हमारी योजना बहुत बड़ी है और यह हमारे लिए बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न करेगी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश का आर्थिक विकास करना बहुत जरूरी था और इसलिए इसी पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। यह जरूरी समझा गया कि देश का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए। इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं।

हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। बहुत समय तक पराधीन रहने के कारण हम प्रत्येक दिशा में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए हमें उस पिछड़ेपन को दूर करना है और यही कारण हैं कि योजनाएं काफी बड़ी बनानी पड़ती हैं। इसके बावजूद भी हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके पूरा होने पर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। हमें पिछली योजना में की गई प्रगति को आगे बनाए रखने के लिए बड़ी योजना बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अन्यथा हमारा विकास रुक जाएगा और देश में गरीबी बनी रहेगी।

देश को बड़ी-बड़ी योजनाओं की आवश्यकता है। यहां तक कि देश के उद्योगपति भी यही चाहते हैं कि योजना और भी अधिक बड़ी हो। वे चाहते हैं कि उन्हें बाहर से सहायता मिलती रहनी चाहिए। परन्तु सरकार यही चाहती है कि हमें बाहर से सहायता न लेनी पड़े। मैं यह नहीं कहता कि हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है परन्तु हमारा उद्देश्य यह है कि हम बाहर से कम-से-कम सहायता प्राप्त करें। योजना आयोग में इससे भी बड़ी योजना का सुझाव दिया गया था। परन्तु हमें अपने संसाधनों को भी ध्यान में रखना है और इसलिए 21,500 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकार किया गया।

हमें अपनी संसाधन स्थिति का लगातार ध्यान रखना होगा। नए साधनों को जुटाने की कोशिश की जाएगी। हमें आशा है कि हम योजना के लिए साधन जुटा सकेंगे। नए कर लगाए जा सकते हैं। साथ-साथ यह भी देखा जाएगा कि कोई कर इतना न बढ़ाया जाए कि उसे बढ़ाने से सरकार को कोई अतिरिक्त राशि ही प्राप्त न हो। क्योंकि हम धन तथा संसाधनों के प्रवाह को बनाए रखना चाहते हैं।

जहां तक योजना के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का प्रश्न है, स्थिति अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस दिशा में भरसक प्रयत्न किए जाएंगे।

एक समाजवादी देश में सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना जरूरी है। कुछ सार्वजनिक कारखानों को छोड़

कर अन्य कारखाने बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। यदि हम इन कारखानों को मुनाफे पर नहीं चला सकेंगे तो अवश्य ही इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ वर्षों में ये कारखाने निजी कारखानों से भी अच्छी प्रगति करके दिखा सकेंगे। इनके प्रबन्ध में काफी सुधार किया गया है और आगे भी सुधार किया जा रहा है। निजी उद्योगों में भी अपना योगदान देना है। सरकार उनकी यथासंभव सहायता करेगी ताकि वे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

मैं अपने देश की अन्य देशों से तुलना नहीं करना चाहता। परन्तु यह प्रचार किया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिक गति से प्रगति कर रहा है। इसके विपरित पाकिस्तान में काफी समय तक प्रगति की गति बहुत धीमी रही है। केवल 1959-60 से ही वहां प्रगति की गति तेज हुई है। यह पांच प्रतिशत से अधिक है। 1964-65 में भारत में प्रगति की दर हाल ही में प्रकाशित किए गए अनुमानों के अनुसार 7.33 प्रतिशत थी। परन्तु इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां अमीरों तथा गरीबों के बीच अन्तर बहुत अधिक है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां असमानताएं पूर्णतया समाप्त हो गई हैं। यहां पर भी असमानताएं हैं। एक वर्ग विशेष ने बहुत अधिक लाभ उठाया है हालांकि हमारा प्रयत्न बहुमुखी विकास करने का रहा है। कुछ वर्गों का शोषण हुआ है परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत अधिक संख्या में देशवासियों को योजनाओं तथा कार्यक्रमों से लाभ पहुंचा है। यह भी बात है कि हमारी जनसंख्या तथा हमारे देश के आकार की तुलना में पाकिस्तान को बाहर से हमारे से दुगुनी सहायता प्राप्त हुई है। इस सहायता से ज्यादा विकास हो सकता है।

देश में खाद्य स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है। पिछले डेढ़ महीनों में हमें बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। वर्षा न होने के कारण किसानों तथा व्यापारियों के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया था और इस सन्देह में अनाज रोक लिया गया था। परिणामत: देश के कुछ भागों में अनाज की कमी महसूस की जा रही है। परन्तु अब वर्षा होने से कुछ राहत मिली है। बड़े किसानों तथा थोक व्यापारियों ने अनाज रोक रखा है और राज्य सरकारों को उसे निकालने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें बाहर से पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलने की आशा है। हम उन क्षेत्रों की सहायता करने की कोशिश करेंगे जो कठिनाई में हैं। ये तो तात्कालिक उपाय है।

खाद्य समस्या का स्थायी हल अधिक उत्पादन करना है। इस उद्देश्य से चौथी योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चौथी योजना में कृषि के लिए जो धन रखा गया है वह तीसरी योजना की तुलना में दुगुना है। हालांकि जहां तक प्रतिशतता का प्रश्न है यह तीसरी योजना की तुलना में अधिक नहीं है। यदि उन सारी मदों को शामिल कर लिया जाए जिनसे कृषि को सीधा लाभ पहुंचेगा तो चौथी योजना में इसके लिए काफी बड़ी रकम रखी गई है। यदि यह सारा रुपया खर्च हो जाएगा और कृषि के लिए अधिक राशि की आवश्यकता महसूस होगी तो वह उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यदि योजना में कोई कटौती करनी होगी तो वह कृषि क्षेत्र में नहीं की जाएगी ।

देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने की भी आलोचना की गई है। भारत जैसे बड़े देश का आर्थिक विकास योजनाओं के बिना संभव नहीं है। यहां तक कि ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे देशों में भी आयोजन एजेंसियां हैं। इस सब आयोजन के लिए योजना आयोग को दोषी ठहराया गया है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योजना आयोग पूर्णतया सरकार की नीतियों का पालन करता है। वह सरकार पर ऊपर से कोई चीज नहीं थोप सकता। विचार-विमर्श का सिलसिला बना रहता है और अधिकतर मामलों में हम आपस में सहमत होते हैं। विश्व बैंक भी उसी देश को सहायता अथवा ऋण देता है जिसने विकास संबंधी योजनाएं बनाई हुई हैं। इसलिए आयोजन को एक बुराई कहना कतई ठीक नहीं है।

जहां तक योजना के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का प्रश्न है हमें अपने आप पर ही ज्यादा से ज्यादा निर्भर करना है। इसलिए करों आदि के रूप में अधिक से अधिक राशि प्राप्त करनी होगी। परन्तु इन करों से जनसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। चौथी योजना में घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी। हमें अधिक भार सहन करके भी मुद्रास्फीती को रोकना होगा ताकि कीमतें कुछ सीमा से आगे न बढ़ सकें।

कुछ व्यक्तियों के मन में यह सन्देह है कि इन करों अथवा आयात प्रतिबन्धों से उत्पादन पर असर पड़ेगा। यह कुछ हद तक ठीक है। परन्तु इस पर निश्चय ही विचार करना होगा कि क्या उपाय किए जाएं ताकि उत्पादन वृद्धि पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। किसी भी विनियमित अर्थव्यवस्था में कुछ नियन्त्रण और विनियमन आवश्यक होते हैं। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि हमें इस बारे में समय-समय पर विचार करते रहना चाहिए कि क्या कुछ कंट्रोल हटाए जा सकते हैं अथवा नहीं। हाल ही में कुछ विशेष किस्म के इस्पात तथा कच्चे लोहे पर से नियंत्रण हटा दिया गया है। सिद्धांत रूप में यह भी फैसला कर लिया गया है कि सरकार की आवश्यकता को छोड़कर सीमेंट पर से भी नियंत्रण हटा दिया जाएगा।

श्री दांडेकर ने ऐसी तस्वीर पेश की है जैसे कि देश में कोई प्रगति ही नहीं हुई है और देश तबाही की ओर जा रहा है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि 14 वर्षों में जबसे देश में योजनाबद्ध विकास कार्य शुरू हुआ है, देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय लगभग 69 प्रतिशत बढ़ गई है। प्रतिव्यक्ति आय 27 प्रतिशत बढ़ी है। खाद्यान्न का उत्पादन 54 प्रतिशत बढ़ चुका है जबकि समूचा कृषि उत्पादन लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है, विभिन्न प्रकार के सामान का उत्पादन होने लगा है और उसमें 145 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बिजली का उत्पादन भी पहली योजना की तुलना में पांच गुणा हो गया है। 1950 में मुश्किल से ही कच्चा तेल पैदा अथवा साफ किया जाता था परन्तु 1964 में 22 लाख टन कच्चा तेल पैदा किया गया और 90 लाख टन तेल साफ किया गया। इस्पात के उत्पादन की भी ऐसी ही स्थिति है। सिंचाई सुविधाओं के मामले में भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने के पश्चात् अब तक जो प्रगति हुई है उतनी पहले के पचास वर्षों में भी नहीं हुई थी। चौथी योजना अवधि के अन्त में बहुत थोड़ी भूमि ही ऐसी रह जाएगी जिनके लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। सिंचाई के मामले में हमारी प्रगति बहुत ही सराहनीय रही है। समाज सेवाओं तथा परिवहन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर हमारी प्रगति कुछ कम सराहनीय नहीं रही है।

इससे मेरा अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ संतोषजनक है। अभी हमें बहुत प्रगति करनी है। हमें अधिक जटिल समस्याओं को हल करना है। बहुधा ऐसा कहा जाता है कि हमारे कार्यक्रमों तथा नीतियों को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इसलिए इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि इस मामले की जांच के लिए बहुत से अध्ययन दल काम करते रहे हैं परन्तु इन छुटपुट प्रयासों से हम स्थिति का सामना नहीं कर सकते। मेरा विचार है कि इस मामले पर जिसके अन्तर्गत समूचा प्रशासन आ जाता है विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे आयोग की सिफारिशें प्रशासन में सुधार आदि करने की दिशा में काफी सहायक सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव सभी को स्वीकार्य होगा।

मैं अन्य मामलों पर अधिक नहीं कहना चाहता। मेरा इस सभा तथा जनता से निवेदन है कि हम इस समय कश्मीर में पाकिस्तान के साथ भयंकर संघर्ष में जुटे हुए हैं, इसलिए हमें एक होकर इस संकट का सामना करना चाहिए और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के हाथ मजबूत हों।

किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिले। सभाएं, विरोध, प्रदर्शन और जलूस इत्यादि साधनों द्वारा विरोध करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि हिंसा की कार्यवाहियां हुईं तो सरकार के लिए सहन करना कठिन होगा। कश्मीर के बारे में मैंने अपनी नीति स्पष्ट कर ही दी है। कुछ एक चौकियों को ले लेने से ही हमें प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस संकट का मुकाबला करने के लिए देश को तैयार करना है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता एकता की है। हमें पूरी आशा है कि हम इस अग्निपरीक्षा में से सफल होकर निकलेंगे। हम उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो हमारे विरोधी हैं। इस विरोधी दल के प्रस्ताव के बारे में मेरा निवेदन है कि यह सरकार और हमारा दल ही देश के कल्याण के लिए जरूरी है।

---

## पश्च टिप्पण

VIII. मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, 26 अगस्त, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य

## 16 सितम्बर, 1965

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ऊथांत, 12 सितम्बर, 1965 को नई दिल्ली आये और यहां तीन दिन ठहरने के बाद वह कल न्यूयार्क चले गए। हमने उनका केवल महान व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विश्व-संगठन के, जिस के कंधों पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की भारी जिम्मेवारी का बोझ है, प्रतिनिधि के रूप में स्वागत किया।

महासचिव ने और मैंने खुलकर और स्पष्ट बातचीत की। उन्होंने विदेश मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान महासचिव ने वर्तमान संघर्ष के, भारत और पाकिस्तान के 60 करोड़ व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में, गंभीर परिणामों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सुरक्षा परिषद् के 4 और 6 सितम्बर के संकल्पों का उल्लेख किया और अपील की कि दोनों देश तुरन्त युद्ध-विराम का आदेश जारी कर दे।

मैंने घटनाओं का वास्तविक ब्यौरा दिया और बताया कि वर्तमान संघर्ष हमने आरम्भ नहीं किया है; इसे पाकिस्तान ने ही आरम्भ किया था जब 5 अगस्त, 1965 को हजारों की संख्या में सशस्त्र घुसपैठियों ने हवाई अड्डों, पुलिस चौकियों तथा पुलों जैसे महत्त्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने तथा उन पर कब्जा करने के उद्देश्य और अन्त में श्रीनगर स्थित राज्य सरकार पर बलपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से हमारे जम्मू और कश्मीर राज्य में आक्रमण किया। यह देखकर कि उसका आरम्भिक आक्रमण प्राय: असफल हो गया है, पाकिस्तान ने 1 सितम्बर, 1965 को न केवल युद्ध-विराम रेखा के पार बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार भी बड़े पैमाने पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया। इस प्रकार भारत के लिए आत्म-रक्षा में प्रतिकारात्मक उपाय करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा। मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान ने ही हमारे ऊपर लड़ाई थोपी है। हम देश की, जिसका जम्मू और कश्मीर राज्य एक अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता की पूर्ण रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। न ही हम ऐसी स्थिति स्वीकार कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान बार-बार अपना सशस्त्र आक्रमण भारत के विरुद्ध जारी रख सके।

महासचिव की यह उत्कट इच्छा थी कि हमें सबसे पहले युद्ध-विराम करने और संघर्ष को समाप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि सेनाओं में लड़ाई बन्द करने की बात तो समझ में आती है लेकिन हमलावरों का प्रश्न अभी रहता है। मैंने बताया कि हमें इन हमलावरों के खिलाफ़, जिनमें से बहुत से अब भी जम्मू और कश्मीर राज्य में हैं, यदि पाकिस्तान उनको हमारे क्षेत्र से वापस नहीं बुलाता है, कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

हमने युद्ध-विराम के परिणामों पर विस्तार से विचार किया। मुझे महासचिव का एक पत्र मिला जिसमें युद्ध-विराम की अपील को दोहराया गया था। इस पत्र की एक प्रति सभा पटल

पर रख दी गई है।

सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद हमने उनको उत्तर भेज दिया जिसकी प्रति भी सभा पटल पर रख दी गई है।

हमने महासचिव के युद्धविराम करने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की। तथापि भारत के लिए कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में हमने अपना रवैया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उदाहरणार्थ हमें उन घुसपैठियों से निपटना होगा जो अब भी सरकारी सम्पत्ति पर हमला कर रहे हैं अथवा जम्मू और कश्मीर राज्य में लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे लिए उस स्थिति में पुन: आ जाना भी संभव नहीं है जिसमें हम अपने आपको घुसपैठ करने वालों को रोकने में एक बार फिर असमर्थ पाएं अथवा उन घुसपैठ करने वालों से प्रभावशाली ढंग से निपट नहीं सके जो पहले ही इधर घुस आए हैं।

जहां तक इस प्रश्न के राजनीतिक पहल का संबंध है, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत की, जिसका जम्मू और कश्मीर राज्य एक अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे कितना भी दबाव अथवा खतरे पेश क्यों न आएं हम इस संकल्प से विमुख नहीं हो सकते। युद्ध विराम के लिए सहमत होने के लिए हमने यह शर्त्तें नहीं लगायीं थीं परन्तु इनका उद्देश्य इन महत्त्वपूर्ण मामलों के संबंध में अपने रवैये को स्पष्ट करना तथा उसको सुस्पष्ट रूप में दोहराना था।

14 सितम्बर की सायंकाल मुझे महासचिव का एक और पत्र मिला जिसमें उन्होंने बताया कि वह उन बातों के बारे में, जो मैंने अपने पत्रों में उठायी थीं, कोई आश्वासन नहीं दे सकते। वास्तव में हमने उनसे कोई आश्वासन देने को नहीं कहा था। इस प्रकार युद्ध-विराम करने की हमारी सहमति महासचिव की अपील के अनुरूप थे। इन पत्रों की प्रतियां भी सभा-पटल पर रख दी गयी हैं।

नई दिल्ली से जाने के पूर्व महासचिव ने मुझे बताया कि यदि पाकिस्तान 15 सितम्बर, 1965 की सायं तक युद्ध-विराम करने से सहमत होने का उत्तर नहीं देता है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रश्न पर समझौता नहीं हो सका है। क्योंकि निर्धारित समय तक सहमति का ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह घोषणा कर दी गई कि हमारी सुरक्षा सेनाओं को पूरी ताकत से कार्यवाही जारी रखनी होगी।

हालांकि शांति स्थापित करने के लिए संघर्ष को बन्द कराने के महासचिव के वर्तमान प्रयत्न सफल नहीं रहे हैं, हमारी ओर से पूरा-पूरा सहयोग दिया गया, वह इस संबंध में आगे प्रयत्न करना चाहते हैं और नई दिल्ली रवाना होने से कुछ ही देर पहले उन्होंने मुझे एक और पत्र भेजा, जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है।

हम यथासंभव शीघ्र इसका एक निश्चित उत्तर भेज देंगे।

जैसा माननीय सदस्यों को पता लगेगा, हमने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के प्रयासों में

पूरा सहयोग दिया है और हमने महासचिव के तुरन्त युद्ध-विराम करने के प्रस्ताव को भी मान लिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इस पर कोई सहमति प्रकट नहीं की। वास्तव में ऐसे संकेत हैं कि वह इस लड़ाई को उस समय तक जारी रखना चाहता है जब तक कि उनकी इस योजना को, जिसमें सारे जम्मू तथा कश्मीर से भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं को हटाया जाना, संयुक्त राष्ट्र सेना को वहां तैनात किया जाना और इसके तीन महीने बाद जनमत-संग्रह करना शामिल है, भारत मान नहीं लेता है।

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य के सुलझे-सुलझाए मामले को फिर से उठाने के ख्याल से 5 अगस्त, 1965 को भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण करके हम पर निर्णय थोपना चाहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारे लिए अपना संघर्ष जारी रखने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। हम यह पूरी तरह अनुभव करते हैं कि वर्तमान सशस्त्र संघर्ष से दोनों देशों के लोगों को बहुत बड़ी कठिनाइयां सहन करनी पड़ेंगी। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी प्रसन्नता से इन कठिनाइयों को सहन कर लेंगे परन्तु आक्रान्ता को अपने देश की स्वतन्त्रता को खतरे में न डालने देंगे अथवा अपने क्षेत्र को हड़पने नहीं देंगे।

राष्ट्रपति अय्यूब खां के कल के संवाददाता-सम्मेलन के बारे में मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है। समाचार है कि अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सद्‌बुद्धि इस बात की मांग करती है कि भारत और पाकिस्तान शांति से रहें। यदि यह नया तथा सत्यनिष्ठा से किया विचार है तो हम इसका स्वागत करेंगे चाहे यह प्रस्ताव इतनी देर से क्यों न किया गया हो। परन्तु यदि पिछले अनुभव को देखा जाए तो यह कथन केवल प्रचार का ही एक भाग दिखाई देगा ताकि संसार को धोखे में डाला जा सके। पहले भी राष्ट्रपति अय्यूब खां ने शांति की अच्छाइयों का बखान किया था और इसके बाद कच्छ में और फिर कश्मीर में बिना किसी उत्तेजना के भारत पर आक्रमण किया था। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति अय्यूब खां ने अब यह देख लिया होगा कि पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध नफ़रत और संघर्ष की नीति का क्या परिणाम निकला।

आज की परिस्थिति में राष्ट्र को निरन्तर सावधान रहना है और स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए हर बलिदान के लिए तैयार रहना है। मैं इस संसद का, सभी राजनीतिक दलों और समूचे राष्ट्र का आक्रमणकारी के विरुद्ध एक होकर खड़े होने के लिए आभारी हूं। मैं राष्ट्र की ओर से बहादुर सशस्त्र बलों का भी आभारी हूं, जिन्होंने यह दिखा दिया है कि वे केवल अपने सीमान्त की रक्षा ही नहीं कर सकते बल्कि शत्रु को करारी चोट देने में भी समर्थ हैं। उनके बहादुरी के कार्य भारत के इतिहास में एक महान अध्याय बनेगा। इस संसद और समूचे राष्ट्र को उन पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि हम इसी दृढ़ निश्चय और साहस से चुनौती का सामना करते रहेंगे।

---

## पश्च टिप्पण

IX. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य, 16 सितम्बर, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# चीन के पत्र के बारे में वक्तव्य

## 17 सितम्बर, 1965

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह चीन सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि हमें 3 दिन के अन्दर-अन्दर अपने सैनिक प्रतिष्ठानों को समाप्त कर देना चाहिए जो कि उनके कहने के अनुसार उनकी सीमा में स्थित हैं। पत्र के संबंधित भाग को सभा की जानकारी के लिए पढ़ कर सुनाता हूं यद्यपि मैं इसको और इस पत्र पर हमारे उत्तर को सभा पटल पर रख दूंगा।

1962 में युद्धविराम के बाद से भारत ने 300 से अधिक सीमा उल्लंघन किए हैं। चीन सरकार ने बार-बार शिकायत की है और तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। चीन सरकार ने भारत द्वारा चीन की ओर अवैध सैनिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के संबंध में चार बार संयुक्त जांच का सुझाव दिया है, परन्तु भारत सरकार ने हर बार इस सुझाव को ठुकराया है। अब भारत सरकार यह बहाना लगाती है कि केवल एक स्वतंत्र तथा तटस्थ प्रेक्षक को ही इसकी जांच करनी चाहिए और भारत सरकार को यह कहते शर्म नहीं आती कि भारतीय सैनिकों ने सिक्किम-चीन सीमा को कभी पार नहीं किया और यह कि भारत ने चीन की ओर कोई सैनिक प्रतिष्ठान नहीं बनाया है। यह सफेद झूठ है।

छोटे बड़े सभी प्रतिष्ठानों को मिला कर इस समय ऐसे 56 सैनिक प्रतिष्ठान हैं। चीन सरकार ने भारत सरकार को 13 विरोधपत्र भेजे हैं, परन्तु भारत सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है और चीन की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता के लिए उसके मन में कोई सम्मान नहीं है। अपनी आक्रमणकारी कार्यवाहियों को रोकने की बजाय भारत सरकार ने उलटा अपने सैनिकों की चीनी प्रदेश में घुसपैठ करने का आदेश दे दिया है।

हमने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्धित अंश मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"चीन सरकार द्वारा भारत पर अक्तूबर-नवम्बर 1962 में अकारण हमले से पहले और इसके बाद भी भारत सरकार भारत-चीन सीमा समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

जैसा कि चीन सरकार को अब तक भेजे गये पत्रों में बताया गया है, भारत सरकार ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को कड़ी हिदायतें दे रखी हैं कि वे पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा पश्चिमी क्षेत्र में तथाकथित वास्तविक नियन्त्रण की रेखा को पार न करें। बड़ी ध्यानपूर्वक और विस्तृत जांच के पश्चात् भारत सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारतीय कर्मचारियों और विमानों ने अपने अनुदेशों का पूरी तरह पालन किया है और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियन्त्रण की रेखा को कभी भी तथा किसी भी स्थान पर पार नहीं किया है। चीन सरकार के पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। भारत सरकार इन आरोपों को नहीं मानती है और इस बात को दोहराती

है कि वह चीन के पत्र में सीमा के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में भारतीय प्रदेश पर किए गए दावे को स्वीकार नहीं करती है। जहां तक कश्मीर तथा वर्तमान भारत-पाकिस्तान विवाद के बारे में चीन के रुख का संबंध है यह और कुछ नहीं बल्कि चीन जानबूझ कर झगड़े को बढ़ाना चाहता है और हस्तक्षेप करना चाहता है।"

सितम्बर, 1962 में भारत-चीन सीमा के सिक्किम की ओर कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान बनाए गए थे। नवम्बर, 1962 में युद्धविराम के बाद से इन प्रतिष्ठानों पर हमारा कब्जा नहीं है। क्योंकि चीन सरकार ने यह आरोप लगाया था कि ये प्रतिष्ठान उनकी ओर हैं, भारत सरकार ने अपने 12 सितम्बर के पत्र में यहां तक कहा था कि किसी स्वतंत्र प्रेक्षक को इसकी जांच करने दी जाए। चीन सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, अपनी संयुक्त निरीक्षण की बात को दोहराया है। चीन को आक्रमणकारी कार्यवाही करने का बहाना न मिले इस ख्याल से हम उन्हें सूचित कर रहे हैं कि संयुक्त निरीक्षण पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हम आशा करते हैं कि चीन वर्तमान स्थिति से फायदा उठा कर भारत पर हमला नहीं करेगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम पूरी तरह सतर्क हैं और यदि हम पर हमला किया गया तो हम अपनी स्वतंत्रता के लिए दृढ़ निश्चय के साथ लड़ेंगे।

---

## पश्च टिप्पण

X. चीन के पत्र के बारे में वक्तव्य, 17 सितम्बर, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# चीन की अन्तिम चेतावनी के बारे में वक्तव्य

## 20 सितम्बर, 1965

मैं, कल पीकिंग में हमारे कार्यवाहक दूत को दिए गए एक और नोट को सभा पटल पर रखता हूं।

चीन ने जो उत्तर भेजा है उससे स्पष्ट है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिल कर अपनी आक्रमणकारी कार्यवाहियों के लिए बहाना तलाश कर रहा है। हमारी राय में चीन ने अल्टीमेटम का समय इसलिए बढ़ाया है कि वह देखना चाहता है कि सुरक्षा परिषद में हुई बहस का क्या परिणाम निकलता है।

चीन ने अपने पत्रों में ऐसे आरोप लगाए हैं कि कोई भी सभ्य देश उनको लेकर लड़ने की नहीं ठानेगा। यदि चीन के क्षेत्र में कोई सैनिक प्रतिष्ठान थे तो उनको हटाने के लिए चीन सरकार को किसी ने रोका थोड़ा ही है। हमारे लिए उनको हटाना तो केवल उनके प्रदेश में जाकर ही संभव हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी यह नहीं सोच सकता है कि कोई सरकार किसी दूसरी सरकार को इस बात पर डराए धमकाएगी कि उसके मवेशियों को ले जाया गया है या यह कि यहां पर हजारों तिब्बती शरणार्थियों में से दो चार को उनकी मर्जी के विरुद्ध रोका जा रहा है।

चीन एशिया में अपनी धाक बैठाना चाहता है और कोई भी स्वाभिमानी देश इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस संबंध में हम चीन के इस दावे को नामंजूर करते हैं कि हमें वहां पर क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। हम छोटे-मोटे मामलों पर मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करने के लिए अब भी तैयार हैं। चीन के आक्रामक इरादे तो इसी बात से स्पष्ट हैं कि जहां चीन ने अपने नोट में अल्टीमेटम की समय-सीमा 72 घंटे और बढ़ा दी है, वास्तव में वहां उसने सिक्किम और लद्दाख में हमारी सीमान्त चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी है।

यदि चीन हम पर आक्रमण करता है तो हम पूरी ताकत के साथ अपनी रक्षा करेंगे।

सुरक्षा परिषद में पास किए गए प्रस्ताव का पूरा पाठ हमें प्राप्त हो गया है और मैं कल उस पर वक्तव्य दूंगा।

*** *** ***[1]

---

## पश्च टिप्पण

### XI. चीन की अन्तिम चेतावनी के बारे में वक्तव्य, 20 सितम्बर, 1965

1. **श्री नाथ पाई** (राजापुर) : श्रीमान जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनियों ने सीमा पर गोलियां चलाना आरंभ कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम केवल विरोधपत्र भेज कर ही रह जाएंगे अथवा जवाब में गोलियां चलाएंगे।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे।

# युद्ध-विराम तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य

## 22 सितम्बर, 1965

मैं, भारत-पाकिस्तान संघर्ष संबंधी सुरक्षा परिषद् के दिनांक 20 सितम्बर, 1965 के संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। यह संघर्ष 5 अगस्त, 1965 को आरम्भ हुआ था जब पाकिस्तान ने युद्ध-विराम रेखा के पार हज़ारों घुसपैठियों को भेज कर भारत पर जोरदार आक्रमण किया था। जैसा माननीय सदस्यों को इससे पता चलेगा, सुरक्षा परिषद् के आदेशानुसार दोनों सरकारों को युद्ध-विराम के आदेश जारी करने थे जो भारतीय समय के अनुसार 22 सितम्बर, 1965 के मध्याह्नोपरान्त 12:30 से लागू किया जाना था। मैंने अपनी सरकार के विचार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को 14 तथा 15 सितम्बर को भेजे गए अपने पत्रों में स्पष्ट कर दिए थे। इसलिए सुरक्षा परिषद् का यह संकल्प प्राप्त होने पर हमने महासचिव को एक पत्र लिखा कि हम केवल एक ही युद्ध-विराम के लिए जो नियत समय और तिथि से लागू हो, आदेश तभी जारी करने के लिए तैयार होंगे, यदि पाकिस्तान भी ऐसा करने के लिए तैयार हो। इस पत्र की एक प्रति भी सभा पटल पर रख दी गई है।

आज प्रात:काल ही महासचिव का एक संदेश हमें मिला जिसमें उन्होंने सलाह दी थी कि हम अपनी ओर से एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दें और यदि दूसरी ओर से आक्रमण हो तभी कुछ कार्यवाही करें। स्पष्ट है यह बात हमें मान्य नहीं हो सकती थी और यह बिल्कुल असम्भव था। हमने अपने संयुक्त राष्ट्र स्थित प्रतिनिधि को तदनुसार महासचिव को सूचित करने का आदेश दिया।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की ओर से यह घोषणा की कि वे भी युद्ध-विराम और युद्ध संबंधी गतिविधियों को बन्द करने को तैयार हैं। अत: हमने अपने क्षेत्रीय कमाण्डरों को कल प्रात: 3:30 बजे तक पूर्ण युद्ध-विराम करने के आदेश जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस संकल्प में अन्य कई बातों का भी उल्लेख है जिन पर बाद में विचार किया जाएगा। तथापि सरकार की नीति सभा को समय-समय पर बताई जाती रही है और इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से हाल ही में हुए पत्र-व्यवहार में भी किया गया है। इन समस्याओं पर और भी विस्तारपूर्वक विचार किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए हमारा संयुक्त राष्ट्र स्थित प्रतिनिधि महासचिव से लगातार सम्पर्क बनाए रखेगा।

शान्ति अच्छी है और अब युद्ध-विराम हो जाएगा परन्तु खतरा अभी बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने वहां एक धमकी भी दी है इसलिए हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना है।

राष्ट्र सबसे बड़ी परीक्षा से गुज़र रहा है और हमने सारे विश्व को बता दिया है कि देश का हर नागरिक चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सर्वप्रथम भारतीय

हैं और मोर्चे पर कोई भी बलिदान दे सकते हैं और दिया है। अपनी सशस्त्र सेनाओं को संसद और पूरे राष्ट्र की ओर से मैं श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपने शौर्य और साहस से जनता में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को मोर्चों पर भेजा है उन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा में अपूर्व योगदान दिया है जिसका आभार राष्ट्र सदा याद रखेगा। परीक्षा की इस कठिन घड़ी में मैं 47 करोड़ व्यक्तियों में से प्रत्येक को इस चुनौती का डट कर मुकाबला करने पर बधाई देता हूं।

रूस के मंत्रिपरिषद के प्रधान श्री कोसिजिव के भारत-पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के प्रयत्नों का हम स्वागत करते हैं और मैंने उन्हें अपनी सहमति से सूचित कर दिया है।

श्री बलवन्तराय मेहता जिस विमान में यात्रा कर रहे थे वह पाकिस्तानी विमान द्वारा मार गिराया गया था—यह बात मौके पर जांच करने पर ज्ञात हुई है। एक गैर-लड़ाकू असैनिक विमान का इस प्रकार गिराया जाना बिल्कुल अमानवीय कार्यवाही है जिसकी सभी को निन्दा करनी चाहिए। श्री मेहता, उनकी पत्नी और अन्य लोग जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे देश की स्वतंत्रता पर बलिदान हुए हैं और उनको सदा स्मरण किया जाएगा।

हमें अब भी चीनी चुनौती का सामना करना है। उसकी सेनाओं ने सीमा पर कई स्थानों पर उत्तेजनात्मक कार्यवाही कर दी है और उन्होंने डोंग्चुईला तथा नाथुला पर सुनिश्चित और परिसीमित सीमा का उल्लंघन किया है। चीन उल्टे हम पर ही आरोप लगाता है और उसके पत्र अशिष्ट भाषा से भरे होते हैं। चीनी पत्रों के उत्तर समय-समय पर सभा पटल पर रखे जाते रहे हैं। हमने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि वे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ बाहर करे।

हम चीनी गतिविधियों और अन्य उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों को बहुत ही गम्भीर समझते हैं। हमने चीन से यह अनुरोध भी किया है कि वह युद्ध और धमकियों का मार्ग छोड़कर भारत के साथ उसकी भांति ही सद्भावपूर्ण तथा शान्तिप्रिय रवैया अपनाए। आशा है कि चीन अब भी हमारे सुझाव पर सहमत होगा और एक बड़े युद्ध को रोक देगा।

क्योंकि हम नहीं जानते कि चीन आगे क्या करने वाला है इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। हमने अपनी स्वतंत्रता को दी गई इस चुनौती का मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प ले रखा है।

---

## पश्च टिप्पण

XII. युद्ध-विराम तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य, 22 सितम्बर, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प तथा भारत द्वारा राष्ट्रमंडल छोड़ने के संकल्प के बारे में वक्तव्य

## 24 सितम्बर, 1965

मैं सभा के प्रत्येक सदस्य का आभारी हूं क्योंकि प्रत्येक दल से मैंने एक ही स्वर में यही कहते सुना है कि हम अपने देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता की हर मूल्य पर रक्षा करेंगे। यह सारे भारत की आवाज़ है जो यहां प्रतिध्वनित हुई है। आज सारे देश में हार्दिक एकता है और इस संकट में यही एकता हमारा सबसे महान बल सिद्ध हुआ है।

यद्यपि युद्ध विराम हो गया है परन्तु पाकिस्तान की आनाकानी से भविष्य में कई उलझनें पैदा हो सकती हैं विशेषकर जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अब भी धमकियां दे रहे हैं। मैंने भारत का पक्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेजे गए अपने 14 सितम्बर के पत्र में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सुरक्षा परिषद के तीनों संकल्पों से जो अर्थ हम निकाल पाए हैं वह यही है कि ये पाकिस्तान की नियमित सेनाओं तथा घुसपैठियों दोनों पर बराबर लागू होते हैं। पाकिस्तान को इन घुसपैठियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें वापिस बुलाना होगा। परन्तु स्वयं महासचिव की रिपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान इस उत्तरदायित्व से इन्कार करता रहा है और यदि वह इस रवैये पर अड़ा रहा तो हमें स्वयं उन्हें निकाल बाहर करना होगा।

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ है कि यह भारत का अभिन्न अंग है। वहां की जनता को पहले ही आत्म निर्णय का अधिकार मिल चुका है और तीन आम चुनावों द्वारा वे अपना निर्णय दे चुके हैं।

भविष्य में भावी खतरे को देखते हुए हमें अपनी तैयारी में ढील नहीं बरतनी है और निश्चय ही उसका सामना करने के लिए तैयार हैं।

जैसा श्री अल्वारेस ने कहा कि लगता है रूस कश्मीर समस्या को दुबारा जीवित करने पर तैयार हो गया है, ठीक नहीं है। आज रूस शान्ति का सच्चा समर्थक है और क्योंकि वह युद्ध की भयंकरता को समझता है इसलिए मित्रता के नाते भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार चाहता है। उनके इरादे शुद्ध हैं और इसीलिए हमने उनकी पहल का स्वागत किया है।

क्योंकि श्री भागवत झा आज़ाद के गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा अब अगले सत्र में होगी इसलिए इस बारे में मुझे अभी कुछ नहीं कहना।

विदेशों में हमारे राजनैतिक मिशनों द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में मैं सभा को सच्चे हृदय से यह बता सकता हूं कि इस अवसर पर हमारे सभी मिशन सतर्क तथा सचेत रहे हैं। उन्होंने उन सरकारों को, जिनके साथ वह सम्बन्धित हैं, होने वाली घटनाओं तथा हमारे ध्येय के औचित्य से पूर्णतया अवगत करने के कार्य को बहुत अच्छे ढंग से किया है। कुछ सरकारें जो रवैया अपनाती हैं, वह मेरे विचार में, इस बात पर निर्भर नहीं करता है अथवा उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो कुछ हमारे राजदूतों को कहना होता है। वहां पर उन्हें पूर्वनिश्चित दृष्टिकोणों तथा प्रतिकूल प्रभावों का विरोध करना पड़ता है। फिर भी हमें अपने मामले पर अत्याधिक अच्छे ढंग से प्रकाश डालने तथा संसार के सभी भागों में भारत के मित्रों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ घरेलू मामलों के बारे में भी कहना चाहता हूं। जहां हमें राष्ट्र में उत्पन्न हुए उत्साह को बनाए रखना है वहीं हमें अपनी प्रतिरक्षा के लिए निरंतर तैयारी करते रहना है और अपनी सभी सीमाओं पर सतर्क रहना है। अपनी प्रतिरक्षा करने हेतु सुदृढ़ कार्यवाही करने के लिए समूचे राष्ट्र को काफी बलिदान करने पड़ेंगे। हो सकता है कि हम सभी लोगों को कुछ त्याग भी करने पड़े और अपने आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यों में भी ढील देनी पड़े ताकि हमारी प्रतिरक्षा कमजोर न होने पाए।

हमारे सम्मुख जो आज महान कार्य पड़ा हुआ है, हमें उसे यथार्थता की भावना से निपटाना होगा। तथा इस तथ्य के प्रति हमें पूर्णत: सचेत रहना होगा कि आत्म-विश्वास ही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। इन ऐतिहासिक अवसरों पर सभा द्वारा दिए गए शानदार समर्थन के लिए मैं इस महासभा का आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा से अपील करता हूं कि वह हमारे प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा सशस्त्र सेना ने जो सराहनीय कार्य किया है, उस के लिए उनके प्रति इस सभा की प्रशंसा तथा कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु आपको अधिकृत करें।

आपकी अनुमति से मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि सभासदों को उन सैनिकों, वायु सैनिकों, पुलिस के कर्मचारियों तथा नागरिकों की स्मृति में खड़े होकर एक मिनट मौन रखना चाहिए जिन्होंने अपनी मातृ-भूमि की रक्षा करते हुए वीरगति पाई है।

---

## पश्च टिप्पण

XIII. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प तथा भारत द्वारा राष्ट्रमंडल छोड़ने के संकल्प के बारे में वक्तव्य, 24 सितम्बर, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य

## 5 नवम्बर, 1965

मैंने 24 सितम्बर, 1965 को इस सदन में जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने 23 सितम्बर 1965 को 3:30 पर हुए युद्ध विराम के बारे में सभी तथ्य बताए थे। मैं उनके बारे में अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। अखबारों में सब बातें आ गई हैं। मैं केवल उन बातों को सदन के समक्ष रखूंगा जिनको अभी हल नहीं किया गया है।

युद्ध विराम अभी तक प्रभावशाली नहीं सिद्ध हो सका। अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तानी सेनाएं लगातार उन चौकियों तथा क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं जिन पर युद्ध विराम होने के समय उनका कब्जा नहीं था। पाकिस्तान के इन आक्रमणों के कारण उन क्षेत्रों में, जिसमें हमारी सेनाएं पाकिस्तानी सेनाओं का सामना कर रही हैं अशान्ति की स्थिति में हैं। युद्ध विराम लागू होने के बाद हमारे जिस राज्यक्षेत्र पर धोखे से कब्जा किया गया है उसे हमारी सेना ले लेगी। युद्धविराम इसमें कोई बाधा नहीं बनेगा। उल्लंघन होने पर हमारे लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई और ढंग ही नहीं, जिसे अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से ही हम स्थिति का सामना कर सकते हैं। ऐसा करके ही पाकिस्तानी इरादों को नकारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार की हमारी प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही को युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

वैसे हम सुरक्षा परिषद का ध्यान नियमित रूप से पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम उल्लंघनों की ओर दिला रहे हैं। इस प्रकार के उल्लंघनों की कुल संख्या लगभग एक हजार है। जब तक कि युद्ध विराम प्रभावी रूप से लागू न हो, सशस्त्र सेनाओं को वापस बुलाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इस दिशा में सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि हमें किस तरह यह विश्वास दिलाया जाएगा कि पाकिस्तान 5 अगस्त, 1965 वाले घुसपैठ करने के ढंगों को नहीं अपनाएगा। हमें इस बात पर भी जोर देना होगा, क्योंकि हमें सूचना मिल रही है कि पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में तथा आदिम जाति क्षेत्रों में और घुसपैठ करने की जोर-शोर से तैयारी हो रही है। हम यह भी आशा करते हैं कि महासचिव तुरन्त ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और घुसपैठ करने की तैयारी सम्बन्धी जांच करें।

मैं इस समय यह कहे बिना नहीं रह सकता कि संसार बड़े संकट से बच सकता है यदि किसी स्थान पर कोई आक्रमण नहीं हो। यह बात घोषित करने के लिए निष्कर्ष प्रमाणित किया जाना चाहिए कि आक्रान्ता कौन है। हाल के संघर्ष में कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि आक्रमण पाकिस्तान ने किया है। राष्ट्रीय संघ के मुख्य पर्यवेक्षक ने यह निर्णय निष्पक्ष रूप से दे दिया है, सुरक्षा परिषद ने भी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उस दिन भारत की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। पाकिस्तान ने भारी संख्या में घुसपैठिये भेजने आरम्भ कर दिए थे और स्पष्ट है कि उसने आक्रमण किया है। अत: मेरा कहना यह है कि इस दिशा में एक स्पष्ट निर्णय दिए जाने की आवश्यकता है। जिस संगठन

पर संसार भर में शान्ति बनाए रखने का उत्तरदायित्व है, उसे इस मामले पर स्पष्ट और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्थिति यह है कि पाकिस्तान न तो युद्ध विराम ही चाहता है और न ही वह कार्यवाही ही करना चाहता है जो कि सुरक्षा परिषद युद्ध विराम के बाद उससे करने की अपेक्षा करती है जिसे कि उसने अपने प्रस्ताव में निर्धारित किया है। मतलब यह कि सभी सशस्त्र सैनिकों को जिनमें घुसपैठ करने वाले भी शामिल हैं तुरन्त वापिस बुलाए जाएं।

पाकिस्तान ने युद्ध विराम बड़े दु:ख से संकोच करते हुए स्वीकार किया है। परन्तु यदि पाकिस्तान इस वर्तमान तथा तनावपूर्वक स्थिति को समाप्त करना चाहता है तो उसे युद्ध विराम समझौते का आदर करना चाहिए। उसे दिन-प्रतिदिन युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसे तुरन्त हमारे क्षेत्र से अपनी सशस्त्र सेनाओं को वापिस बुला लेना चाहिए, जहां कि अब पाकिस्तान ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है। तो हम भी अपनी सेनाओं को वापिस बुला लेंगे। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात एक और है, वह, यह है कि पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दोबारा जो तैयारी कर रहा है, उसे भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अनियमित भर्ती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्रों को प्राप्त करने के प्रयास भी छोड़ देना चाहिए। जो माल और जहाज उसने अवैध रूप से कब्जे में किए हैं उसे मुक्त कर देना चाहिए। उसे चीन के साथ, जो अपने कपट सम्बन्ध स्थापित किए हैं उसे भी छोड़ देना चाहिए। चीन के साथ उसके समझौतों का आधार सामान्य भारत से दुश्मनी है। पाकिस्तान को पहले सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। ऐसा करने के बाद ही हम आपस में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बातचीत कर सकते हैं।

एक बार पाकिस्तान ईमानदारी से शान्ति का रास्ता अपनाए, तो भारत के लोग और भारत सरकार पूरी तरह उसका सम्मान करेगी। परन्तु खेद की बात यह है कि पाकिस्तान के इरादों के बारे में जितने भी सबूत हमारे पास हैं, उससे यह ही लगता है कि उसके इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई है। वह शान्ति के मुकाबले में युद्ध को प्राथमिकता देता है। ऐसी परिस्थिति में हमें दो दृष्टियों से मामले पर विचार करना होगा। एक तो हमें यह सोचना होगा कि हमें निरन्तर सावधान रहना होगा। हमें अपने अन्दर घृणा की भावना नहीं बढ़ानी और न ही हमें अपनी मूलभूत नीति को ही छोड़ना है। हमें धर्मनिरपेक्षता भी कायम रखनी है, आर्थिक विकास को ढीला नहीं करना और अपने राज्यक्षेत्र के किसी भाग पर धमकी का मुकाबला करने के लिए भी तत्पर रहना है। पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को हम एक सभ्य समाज द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने संगीनों के बल पर पाकिस्तान में हमारे उच्च आयोग की तलाशी लेकर सारे कूटनीतिक शिष्टाचारों को तोड़ा है। हमने बदले की कोई कार्यवाही नहीं की और केवल इतना ही किया कि हमने अपने उच्चायुक्त को वापिस बुला लिया है और निकट भविष्य में हमारा उसे वहां वापिस भेजने का कोई इरादा नहीं है।

भुगतान करने के बारे में काफी कहा सुनी हुई है। सभा सिन्ध जल सन्धि के अन्तर्गत हमारे द्वारा देय राशि के भुगतान के प्रश्न पर चर्चा करने वाली है। हम उन वचन बंधनों से पीछे नहीं हटना चाहते हैं जोकि हमने सत्यनिष्ठा से किए हैं चाहे उनका सम्बन्ध सिन्धु जल

सन्धि से है अथवा कच्छ सम्बन्धी समझौते से। जबकि हम ताकत का मुकाबला ताकत से करने के लिए सदा तैयार हैं, हम अपने वचनों का बराबर पालन करते रहेंगे। हम इस बात के लिए पूर्णरूपेण सजग हैं कि पाकिस्तान तथा इसका मित्र चीन मिलकर किसी ऐसे समय, जो वह उपयुक्त समझेंगे हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय कर सकते हैं, अत: हमें किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए हमेशा सतर्क रहना है। हम अपने प्रतिरक्षात्मक प्रयत्न से यथासम्भव अत्यधिक हद तक और यथासम्भव बहुत ही थोड़े समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण विभाग इस मुख्य उद्देश्य से खोला गया है ताकि देश में उन मदों की उत्पादन क्षमता स्थापित की जा सके जो हमारी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हैं और जिनके लिए हमें आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने नए प्रतिरक्षा ऋणों तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बांड योजना पर पर्याप्त रूप से विचार कर लिया है जिनको अब लागू कर दिया गया है तथा हमने व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न किया है और वह समस्त प्रोत्साहन दिया गया जोकि दिया जा सकता था। इन योजनाओं से राष्ट्र की प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों में महत्वपूर्ण योग मिलेगा। आशा है कि लोग इन योजनाओं को अपना उचित योगदान देंगे।

हम पाकिस्तान के साथ शान्ति से रहना चाहते हैं। हमने शान्ति के रास्ते को छोड़ने के लिए न पहले कभी कोई पहल की है और न ही भविष्य में हम ऐसा करेंगे। हम पाकिस्तान के किसी राज्य-क्षेत्र को अपने देश में नहीं मिलाना चाहते हैं। परन्तु शान्ति को पुन:स्थापित तथा भविष्य में इसका परिरक्षण तभी किया जा सकता है जब पाकिस्तान अकारण आक्रमण करने के तूफानी रास्ते को छोड़ नहीं देता है। हम किसी आक्रांता की आराधना नहीं कर सकते हैं। चूंकि पुन: आक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है अत: हमें सदा सतर्क और तैयार रहना चाहिए।

सारी स्थिति को देखते हुए यह कहना ही पड़ता है कि अगस्त में जो कुछ हुआ वह पुन: भी हो सकता है। हमें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें जागरूक रहना होगा। हमारी सशस्त्र सेनाओं का नैतिक बल पूरी तरह कायम है। उन्होंने अपने साथियों को मातृभूमि के लिए मरते अपनी आखों से देखा है। मैंने उन्हें बताया कि देश आपका बहुत आभारी है। देश के लोग इस खतरे का मुकाबला करने को तत्पर हैं। मुझे पता है कि देश भी और यह सदन भी राष्ट्र के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक सम्भव बलिदान देने को तत्पर है।

---

## पश्च टिप्पण

XIV. भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य, 5 नवम्बर, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

## 16 नवम्बर, 1965

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से सदस्यों का भाषण सुना। मेरा विचार उनके भाषणों में कही गई सभी बातों का उत्तर देने का नहीं है। कुछ बातों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। शेष बातों का उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्री स्वयं देंगे।

आरंभ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था उस समय देश के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएं थीं जिनको सुलझाना था। मैं चाहता था कि भारत में शांति रहे और पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध अच्छे रहें। लंका के प्रधानमंत्री भारत एक वर्ष पहले आए तथा कई वर्षों से जो समस्या हमारे सामनें लटक रही थी उसको हमने संतोषजनक रीति से शांति से हल कर लिया। हमारी दिल्ली में उनसे बातचीत हुई तथा इस संबंध में एक समझौता हो गया तथा मुझे प्रसन्नता है कि लंका के नए प्रधानमंत्री उसको लागू करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूं। हमारे आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

बर्मा में हमारे नागरिकों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा तथा वे लोग बर्मा से लौट कर आ रहे हैं। मैंने अपने विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह से कहा है कि वह बर्मा जाएं। वह वहां गए तथा उन्होंने बर्मा सरकार से बातचीत की। यद्यपि हमारी सभी समस्याएं उनके साथ हल नहीं हो पाईं परन्तु कुछ सुधार अवश्य हुआ है। पहले हमारे नागरिकों को अपनी आस्तियां वहां पर छोड़नी पड़ती थीं परन्तु अब कुछ स्थिति बदल गई है। बर्मा के प्रेसीडेंट जनरल ने विन भारत आए और उनसे हमारी बड़ी लाभदायक बातें हुईं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि अब हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हो गए हैं।

मैं स्वयं काठमांडू गया था और स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि नेपाल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि आरंभ में मेरी यही इच्छा थी कि पाकिस्तान से भी हमारे संबंध अच्छे हो जाएं। मैं समझता हूं कि यदि भारत और पाकिस्तान मित्रता से शांति से रहें तो बहुत अच्छा हो और इसी कारण मैं काहिरा से लौटते हुए कराची गया था। वहां पर प्रेसीडेंट अयूब से मेरी बातचीत हुई। बातचीत से मुझे आशा बंधी थी कि संभवतया हमारी समस्याएं हल हो जाएं। उनका विचार था कि, सीमाओं पर होने वाली मुठभेड़ बंद होनी चाहिए। मैंने भी उनको यही सुझाव दिया कि दोनों देशों के सैनिक अधिकारी मिलकर कोई ऐसा फार्मूला बना लें जिससे ये मुठभेड़ न हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि दोनों देशों के गृह मंत्री मिलकर शरणार्थियों की समस्या हल कर लें। मैंने उनसे कहा कि मैं इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूं।

दिल्ली लौटने पर मैंने गृह मंत्री सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव भेजे परन्तु पाकिस्तान ने इस सम्मेलन का विलम्बन कर दिया। एक और तारीख निश्चित की गई, जिसको भी पाकिस्तान ने नहीं माना। हमने तीसरी बार उन्हें लिखा। उसका उन्होंने उत्तर दिया कि "इस समय स्थिति

ठीक नहीं है"। ऐसी बातें हुईं। मैं नहीं जानता था कि पाकिस्तान कुछ और तैयारियां कर रहा है। वह कुछ इलाके हड़पना चाहता है। पहले उसने कच्छ की रन पर हमला किया। हमने फिर भी मामले को शांति से निबटाना चाहा। हमनें कच्छ की रन को खाली करना तथा उस पर चर्चा करना स्वीकार कर लिया। समझौता भी हो गया परन्तु फिर भी पाकिस्तान को संतोष नहीं हुआ और इसके विपरीत वह यह समझे कि हम कमजोर हैं और वह जबरन हम से कुछ भी करा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में वह मिला सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठिये भेजे। इन्होंने जम्मू और कश्मीर में शान्ति तथा व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न किया। तथा ऐसा प्रयत्न किया जिससे सुरक्षा परिषद तथा महासभा में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाए कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु उनको इसमें कोई सफलता नहीं मिली।

इसके बाद उन्होंने छम्ब के इलाके पर नियमित सेनाओं से हमला कर दिया। हमने इसके विरोध में बहुत कुछ हल्ला मचाया। परन्तु विश्व के किसी भी देश ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। सभी चुप रहे। परन्तु जैसे ही हमने लाहौर की ओर बढ़ना शुरू किया विदेशों में भारत के विरुद्ध वक्तव्य तथा लेख निकलने शुरू हो गए। ये हमारे साथ विदेशों ने अन्याय किया। उन्होंने हमारी बात तथा स्थिति को नहीं समझा।

अन्त में मामला सुरक्षा परिषद को भेजा गया। वहां पर इस पर विचार हुआ। हमने वहां भी यही कहा कि आक्रामक का पता लगाया जाए और अब समस्त विश्व को मालूम हो गया है कि किसने आक्रमण किया था। परन्तु सुरक्षा परिषद ने अभी भी आक्रामक की घोषणा नहीं की है और इसी के फलस्वरूप दिन-प्रतिदिन युद्धविराम का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान को और प्रोत्साहन मिलता है कि वह ऐसे काम करे।

मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान के क्या इरादे हैं। परन्तु एक ओर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने लोगों को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब भी लड़ रहा है। उन्होंने अपने लोगों में यह खबर फैला रखी है कि भारत हार गया है और पीछे भगा दिया है। परन्तु यह तथ्य है कि पाकिस्तान का एक बड़ा भाग हमारी सेना के कब्ज़े में है। मैंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखा है कि पहले युद्धविराम के प्रश्न का फैसला हो जाए फिर सेना पीछे हटाने के प्रश्न को लिया जाए। परन्तु सुरक्षा परिषद ने दोनों पर एक ही साथ विचार करने का फैसला किया है। हम इसके लिए तैयार हैं। परन्तु मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो यह कि यदि पाकिस्तान युद्धविराम का उल्लंघन करता है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। दूसरे यह कि युद्धविराम के प्रभावशाली होने के पश्चात् हम किसी ऐसे समझौते पर राज़ी नहीं होंगे जिससे घुसपैठियों को फिर से हमारी सीमा उल्लंघन करने का अवसर मिले। राष्ट्रपति अयूब के साथ मेरी वार्ता के संबंध में भी कुछ बातें कही गई हैं। जैसा कि सभा जानती है यह सुझाव रूस सरकार ने बिल्कुल आरम्भ में दिया था। यद्यपि यह समय इन बातों के लिए मौजूद नहीं है फिर भी हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि हम वहां पर कश्मीर के प्रश्न पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। यदि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के प्रश्न को लिया जाए तो हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार

हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हम उसके साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। परन्तु राष्ट्रपति अयूब और वहां के विदेश मंत्री यह समझते हैं कि समस्या का समाधान यह है कि कश्मीर पर बातचीत ही नहीं अपितु कश्मीर ही उनको मिल जाए। यह प्रस्ताव हमारे लिए स्वीकार करना बिल्कुल असम्भव है।

चीन के संबंध में मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। यह कहना कठिन है कि चीन और पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहे हैं। परन्तु यदि चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हम पर हमला किया तो हमारे सामने कठिन स्थिति आ जाएगी। इसके लिए हमें तैयारी करनी है और देश को औद्योगिक, आर्थिक और प्रतिरक्षा की दृष्टि से मज़बूत बनाना है।

जहां तक गुटनिरपेक्षता की नीति का संबंध है मैं इस पर अधिक कहना नहीं चाहता। श्री मसानी ने पहली बार यह कहा है कि रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि कठिन समय में रूस ने जो हमारी सहायता की हम उसको भुला नहीं सकते हैं।

भारत पाकिस्तान प्रश्न पर अमरीका से हमारे कुछ मतभेद हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अमरीका के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने चाहिए। रूस और अमरीका ही दो बड़ी शक्तियां हैं जो संसार में शांति बनाए रख सकती हैं। ये दोनों देश शांतिपूर्वक ढंग से रहें तो संसार के सभी विकासशील देशों को सहायता मिलती रहेगी और संसार में शांति बनी रहेगी और लोग अच्छी तरह रहेंगे।

यह सच है कि हमारे कुछ मित्रों ने स्पष्ट रूप से हमारा समर्थन किया है। जब कोई झगड़ा होता है तो अन्य देश यही प्रयत्न करते रहे हैं कि उसका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो जाए। वे अपने ह्रदय की बात को स्पष्ट नहीं करते हैं। अरब और मध्यपूर्व के कुछ देशों ने हमारा विरोध किया है। परन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि अरब शिखर सम्मेलन में किसी का भी पक्ष नहीं लिया गया।

उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारा रवैया गांधीजी के समय से ही रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका के अधिकांश देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है। दक्षिण रोडेशिया के अल्पसंख्यक गोरे लोगों ने एक पक्षीय रूप से स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी है। हम बहुसंख्यकों के शासन में विश्वास करते हैं। हम रोडेशिया की गोरी सरकार को मान्यता नहीं देते। वहां के बहुसंख्यक अफ्रीकी लोगों को हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है।

जहां तक मेरे अमरीका जाने का प्रश्न है मैंने पहले कभी इससे इनकार नहीं किया था। श्री पाटिल वहां पर निमन्त्रण का प्रबन्ध करने नहीं गए थे। निमन्त्रण तो पहले से ही था और जरूरत पड़ने पर फिर भी आ सकता था और राष्ट्रपति जॉनसन की सुविधा को ख्याल में रख कर मुझे इसका निर्णय करना था कि कब जाया जाए। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के दिमाग से मैं यह भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि कोई बात स्वीकार करने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा सकता है।

---

## पश्च टिप्पण

XV. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव, 16 नवम्बर, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।

# ताशकन्द में राष्ट्रपति अय्यूब खां के साथ प्रस्तावित भेंट तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य

## 10 दिसम्बर, 1965

18 सितम्बर को मुझे रूस के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, श्री कोसीजिन से एक पत्र मिला था जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच पुन: शान्ति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अय्यूबखां और मेरी ताशकन्द में भेंट का प्रस्ताव था। मैंने 22 सितम्बर को भी कोसीजिन को पत्र भेज दिया है। जिसमें मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भेंट सम्बन्धी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है। श्री कोसीजिन ने इसी आशय का एक पत्र राष्ट्रपति अय्यूब खां को भी भेजा है। राष्ट्रपति अय्यूब द्वारा श्री कोसीजिन को भेजे गए पत्र में उन्होंने श्री कोसीजिन को इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया है और ताशकन्द में बातचीत के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। राष्ट्रपति अय्यूब ने यह भी कहा है कि ये शर्तें पहले सुरक्षा परिषद में तय की जानी चाहिएं। मैंने 22 सितम्बर को कोसीजिन के प्रस्ताव तथा अपनी स्वीकृति के बारे में बता दिया है।

16 नवम्बर को मुझे श्री कोसीजिन ने सूचित किया कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है रूस के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के प्रस्ताव के अनुसार ताशकन्द में उनकी और मेरी भेंट की व्यवस्था की जाए। श्री कोसीजिन ने इस सम्बन्ध में मेरे विचार जानने की इच्छा प्रकट की है। जैसा कि सभा अच्छी तरह जानती है कि मैंने प्रस्ताव के लिए मना नहीं किया था। इसके साथ ही मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक कश्मीर के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे लिए इस स्थिति से पीछे हटना संभव नहीं है कि कश्मीर भारत का अंग है और हमारे लिए अपने राज्य क्षेत्र को देने का प्रश्न नहीं उठता।

इसके बाद मास्को में हमारे राजदूत तथा रूस सरकार के बीच विचार-विमर्श हुआ और मैं भी भारत में रूसी राजदूत से मिला। मुझे श्री कोसीजिन से 27 नवम्बर को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने मुझे सूचित किया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बिना किसी पूर्व शर्त के ताशकन्द में प्रस्तावित बातचीत के लिए तैयार हैं। मुझे बातचीत की तारीख के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मैंने श्री कोसीजिन को एक पत्र भेजा जिसमें मैंने जनवरी, 1966 के पहले सप्ताह में बैठक की अपनी सहमति दी। अब यह घोषित किया गया है कि यह भेंट 4 जनवरी, 1966 में आरंभ होगी।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने ताशकन्द में भेंट करने की बात स्वीकार कर ली है क्योंकि हम बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण तथा पड़ोसी के नाते अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में विश्वास करते हैं। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ताशकन्द में भारत तथा पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित बातचीत में समूचे तौर पर पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार किया जाए ताकि दोनों देश स्थायी शान्ति तथा सहयोग के साथ रह सकें।

हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें परस्पर अच्छे तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके रहना चाहिए। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि युद्ध और सैनिक संघर्ष से राष्ट्रों के बीच समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता। यदि पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव सच्चे दिल से यह महसूस करके स्वीकार किया है कि झगड़े से शान्ति अच्छी है तो ताशकन्द में होने वाली बातचीत लाभदायक रहेगी।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस समय हमारी सीमाओं पर क्या स्थिति है। मैं अपनी विदेश यात्रा के बारे में भी जो मैं अगले महीने करूंगा सभा को बताना चाहता हूं।

पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति अशान्त है और युद्धविराम समझौते के बावजूद पाकिस्तान समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर इसका उल्लंघन कर रहा है। हमारी सेनाएं बड़े संयम से उसका सामना कर रही हैं फिर भी उन्होंने स्वभावत: अपने ठिकानों की रक्षा करनी है।

राजस्थान क्षेत्र में युद्धविराम लागू होने के बाद पाकिस्तान ने उस समझौते की, जिसे उसने स्वीकार किया है, पूर्ण अवहेलना करके कुछ अलग-अलग चौकियों पर कब्जा किया है। संभवत: इस स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता। अत: स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कार्यवाही की गई है और इसमें काफी प्रगति हुई है।

चीन ने भी हमारी सीमाओं पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने कई स्थानों में घुसपैठ करने का प्रयास किया है। यह कहना कठिन है कि चीन के वास्तविक इरादे क्या हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि वह हर समय तनाव का वातावरण बनाए रखना चाहता है तथा अपना दबाव रखना चाहता है।

हमारी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति को ध्यान रखते हुए हमें निरन्तर सतर्क रहना है और देश को पाकिस्तान तथा चीन की सांठ-गांठ पूर्ण गतिविधियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें लम्बे समय तक स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

आगामी सप्ताहों में मेरा विचार अमरीकी तथा बर्मा सरकार के निमंत्रण पर इन दोनों मित्र देशों का दौरा करने का है। भारत और अमरीका में कई बातें एक समान हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 फरवरी, 1966 को राष्ट्रपति जॉनसन के साथ होने वाली मेरी बातचीत से दोनों देशों के सम्बन्ध और अधिक घनिष्ठ होंगे। मैं राष्ट्रपति जॉनसन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके खाद्य सम्बन्धी सहायता बढ़ाने के निर्णय से हमारी वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति का सामना करने में हमें अधिक सहायता मिलेगी।

सभा को याद होगा कि कुछ मास पूर्व बर्मा के प्रेसीडेन्ट, जनरल नेविन भारत आए थे और मुझे बर्मा आने का निमंत्रण दे गए। मैं सोमवार 20 दिसम्बर को बर्मा जाऊंगा और 23 दिसम्बर भारत लौट आऊंगा।

मैं जिन देशों में जाऊंगा उनकी जनता को भारत की जनता की शुभकामनाओं का संदेश दूंगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व के देशों की सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयास में उनके समक्ष अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करें। हम फिर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत शान्ति और विश्व भ्रातृत्व का पक्का समर्थक है।

देश को अब भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें इनका प्रभावकारी रूप से सामना करना है। हाल के कुछ महीनों ने यह साबित कर दिया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी जनता की एकता है। जहां तक राष्ट्रीय समस्याओं का सम्बन्ध है उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता एक है। इन कठिन परिस्थितियों में सभी राजनैतिक दलों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता में एकता की भावना बनी रहेगी।

---

## पश्च टिप्पण

XVI. ताशकन्द में राष्ट्रपति अय्यूब खां के साथ प्रस्तावित भेंट तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य,10 दिसम्बर, 1965

कोई टिप्पण नहीं ।